[2022] 7 एस. सी. आर 957

दिल्ली विश्वविद्यालय

वी.

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 3797-3809 2022 का)

10 मई, 2022

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

सेवा कानूनः पेंशन लाभ-अंशदायी भविष्य निधि-सी. पी. एफ. और सामान्य भविष्य निधि और पेंशन योजना-जी. पी. एफ. कटौती की तारीख के बाद सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में स्थानांतरित-तथ्यों पर, विश्वविद्यालय द्वारा 25.05.1987 पर अधिसूचना जारी की गई है कि सभी सी. पी. एफ.

01.01.1986 पर सेवा में लाभार्थियों को माना जाएगा

" कानून 28-ए के तहत जी. पी. एफ. के पास आएं जब तक कि ऐसे कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. के तहत बने रहने का विकल्प नहीं चुना था-सी. पी. एफ. के तहत बने रहने का विकल्प चुना था, जबकि बाकी कर्मचारियों को जी. पी. एफ. के लिए "आया" माना गया था-इसके बाद, सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग करने के लिए विस्तार का अनुदान दिया गया जिसमें 626 कर्मचारियों द्वारा विकल्प का उपयोग किया गया था-विश्वविद्यालय सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने के लिए कट ऑफ तिथि को बढ़ाता रहा-अंतिम अधिसूचना के तहत विकल्प के प्रयोग के लिए कट ऑफ तिथि 31.01.1999 थी-2469 कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया-समय सीमा के बाद बदलाव के लिए दिया गया विकल्प गलत था-उन कर्मचारियों द्वारा लिखित याचिका दायर करें, जो सी. पी. एफ. के तहत बने रहने का विकल्प देते थे।

जबकि डिवीजन बेंच ने कहा कि कई अन्य स्वायत्त संस्थानों को पेंशन योजना में बदलने की अनुमति दी गई थी, इस प्रकार, तीसरे बैच के अस्थिर होने के मामले में पेंशन योजना का विकल्प चुनने के अधिकार से इनकार करते हुए-अपील पर, कहा गयाः उन 2469 कर्मचारियों के साथ तीसरे बैच के मामलों में अलग व्यवहार किया गया, जो किसी भी तर्क पर आधारित नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि उन 2469 कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में बदलने का विकल्प दिया जा सकता था, भले ही उन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प चुना था, समानता या समानता के सिद्धांत पर, मामला निश्चित रूप से बनाया गया था-अधिसूचना के इरादे से,

जिन लोगों को सी. पी. एफ. का विकल्प चुनना था, वे एक अपवाद थे और सामान्य नियम यह था कि 'आई. डी. 2' के बाद हर कोई सामान्य रूप से जी. पी. एफ. द्वारा कवर किया जाएगा-मामलों के तीसरे बैच में, चिंता केवल 75 व्यक्तियों के साथ है-बड़े पैमाने पर लोगों अर्थात् 2469 कर्मचारियों को रिवर्स स्विचओवर का विकल्प दिया गया था और उन्हें जी. पी. एफ. के तहत सभी लाभों की अनुमति दी गई थी-जब 'आई. डी. 1' की अधिसूचना जारी की गई थी, तो अधिकारी इस संभावना से अवगत थे कि सभी कर्मचारी जी. पी. एफ. में 'आ सकते हैं' और तदनुसार निधि का गठन किया गया था और मामलों की व्यवस्था की गई थी-उन 75 कर्मचारियों की स्थानांतरण किसी भी तरह से निधि की ताकत और चरित्र को प्रभावित नहीं करेगी इस प्रकार, तीसरे बैच में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए निर्णय में किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

प्रति वर्ष 8 प्रतिशत सरल ब्याज के साथ सी. पी. एफ. के तहत योगदान की भरपाई के लिए निर्देश।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एकल न्यायाधीश के मामलों के तीन बैचों से संबंधित निर्णयों में जो सामान्य सूत्र चला, वह यह था कि दिनांक 1 की अधिसूचना का पाठ स्पष्ट था कि यदि संबंधित कर्मचारियों द्वारा कट-ऑफ तिथि से पहले कोई विकल्प नहीं अपनाया गया था, तो उन्हें जी. पी. एफ. में आया माना जाएगा। सी. पी. एफ. के तहत बने रहना कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला केवल एक सकारात्मक विकल्प था जो इस तरह के प्रावधान से अलग हो सकता था। एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प अंतिम था और इस तरह, उन लोगों से कोई बदलाव नहीं हो सकता था जिनके पास था

सचेत रूप से सी. पी. एफ. के अधीन रहने का विकल्प चुना। इसके अलावा, एस. एल. वर्मा के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि समय सीमा या कट-ऑफ के बाद विकल्प का कोई भी प्रयोग महत्वहीन होगा। यह था।

इस आधार पर कि आर. एन. विरमानी बैच के मामलों और एन. के. बख्शी बैच के मामलों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। शशि किरण बैच के मामलों के संबंध में, एकल न्यायाधीश ने कहा कि एक बार सचेत निर्णय लेने और सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग करने के बाद, "किसी भी वापसी की स्थिति के लिए कोई जगह नहीं थी"। इसलिए तीसरे जत्थे के मामलों को खारिज कर दिया गया। [पैरा 12] [995-ई-एच; 996-ए] दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

1.2 जहां तक 2469 कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें कट-ऑफ तिथि के बाद इस तरह के बदलाव की सुविधा दी गई थी, एकल न्यायाधीश

उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प भी चुना था, लेकिन वे अदालत के समक्ष नहीं थे, और इस तरह, उनके मामलों को अछूता छोड़ना पड़ा। यह रिकॉर्ड की बात है और कौन सा पहलू है संचार से स्पष्ट है कि उन 2469 कर्मचारियों में से अधिकांश को, सेवानिवृत्ति के समय, वे सभी लाभ दिए गए थे जो उन लोगों के लिए उपलब्ध थे जिन्होंने जी. पी. एफ. के तहत होने का विकल्प चुना था। इस प्रकार, उन 2649 कर्मचारियों को निश्चित रूप से स्थानांतरण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी जो मामलों के तीसरे बैच में कर्मचारियों के पक्ष में नहीं दी गई थी। एकल न्यायाधीश द्वारा मामलों के पहले दो जत्थों में लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए, खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के विचार को केवल मामलों के तीसरे जत्थे यानी शशि किरण जत्थे के मामलों में ही दरकिनार कर दिया। जैसा कि खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से संकेत मिलता है, मामले को भेदभाव और समानता के सिद्धांतों के आधार पर रखा गया था। [पारस 13,14] [996-बी-डी]

1.3 01.05.1987 की अधिसूचना के अनुसार दो स्थितियों पर विचार किया गया था। सबसे पहले, डीमिंग प्रावधान में जिन शर्तों के लिए संबंधित कर्मचारी को जी. पी. एफ. में 'आने' के लिए ले जाया गया था। दूसरी स्थिति यह थी कि सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के लिए कटौती की तारीख से पहले एक सचेत विकल्प का प्रयोग किया गया था। इसलिए एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आर. एन. विरमानी समूह के मामलों को उचित रूप से अनुमति दी, क्योंकि कट-ऑफ तिथि तक किसी भी सचेत विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था।

नतीजतन, संबंधित कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में 'आया' माना जाना चाहिए। तार्किक रूप से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या संबंधित कर्मचारी योगदान देना जारी रखता है

यह मानते हुए कि वह सी. पी. एफ. के अंतर्गत आता है, भले ही

संबंधित अधिकारियों द्वारा योगदान दिया गया। इसलिए कर्मचारियों के पक्ष में लाभ उचित रूप से प्रदान किया गया और पूरे योगदान को वापस करने का निर्देश दिया गया। विश्वविद्यालय ने उस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है और इस प्रकार मामला अंतिम रूप ले चुका है। [पैरा 15] [996-ई-जी]

1.4 सैद्धांतिक रूप से, उसी सिद्धांत का विस्तार यह होगा कि यदि कट-ऑफ तिथि से पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के बाद एक विकल्प का प्रयोग किया गया था; और यदि [2022] 7 एस. सी. आर.

कट-ऑफ डेट के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, एकल न्यायाधीश और एन. सी. बख्शी बैच के मामलों में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय भी काफी सही थे। नतीजतन, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग किया था, इस तरह के विकल्प का प्रयोग कानून की नजर में गैर-कानूनी होगा। यह वास्तव में एस. एल. वर्मा के मामले में निर्णय का अनुपात है। इस प्रकार, मामलों के इन दोनों बैचों का निर्णय एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा सही ढंग से किया गया था। इसलिए, एन. सी. बख्शी बैच के मामलों में अपील खारिज कर दी जाती है। [पैरा 15] [996-एच; 997-ए-बी]

1.5 जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 02.03.2020 आदेश पारित किए जाने के बाद दायर अपने हलफनामे में संकेत दिया गया था, 2611

कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. योजना के तहत कट-ऑफ तिथि यानी 30.09.1987 तक रहने का विकल्प चुना था। इसके अतिरिक्त, 626 कर्मचारियों ने मूल कटौती के बाद सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का प्रयोग किया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए शुरुआती दो विस्तारों के भीतर। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पूरे निकाय के मुकाबले, 3237 (2611 + 626) कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का प्रयोग किया था। से बाहर

इन 3237 कर्मचारियों ने, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आगे के विस्तार के आधार पर, लगभग 2469 कर्मचारियों ने उल्टा प्रयोग किया।

विकल्प दिया और केवल 768 (3237-2469) कर्मचारियों को सी. पी. एफ. के तहत छोड़ते हुए जी. पी. एफ. में आने का विकल्प चुना। विश्वविद्यालय द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए प्रश्नों 'डी' और 'ई' के उत्तरों से संकेत मिलता है कि सी. पी. एफ. योजना में कर्मचारियों की संख्या 86 थी जबकि शशि किरण बैच में याचिकाकर्ताओं की संख्या 75 थी। इस प्रकार, चिंता शशि किरण बैच के मामलों में 75 मूल याचिकाकर्ताओं के साथ है। [पैरा 17] [997-सी-ई]

1.6 डिवीजन बेंच के फैसले से पता चलता है कि इस मामले पर भेदभाव के दृष्टिकोण से विचार किया गया था

समान श्रेणी के व्यक्तियों के बीच, अर्थात, जिन्होंने सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प चुना था। एक ही श्रेणी में विभिन्न समूह थेः - जिन लोगों ने किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं किया था, लेकिन सी. पी. एफ. (आर. के. विरमानी मामलों के बैच) के लिए योगदान का भुगतान करना जारी रखा था; जिन्होंने सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का उपयोग किया था, लेकिन विकल्प का उपयोग कट-ऑफ के बाद किया गया था। चूँकि कट-ऑफ के बाद विकल्प का प्रयोग किया गया था, इसलिए उन्हें जी. पी. एफ. के पास 'आया' माना गया और उन्हें लाभ दिया गया (एन. सी. बख्शी मामलों का समूह); और जिन्होंने जानबूझकर विकल्प का प्रयोग किया दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

सी. पी. एफ. के तहत होने के लिए; लेकिन बदलाव के लिए 11 विस्तारों के माध्यम से दिए गए आगे के विकल्पों का लाभ उठाते हुए, जी. पी. एफ. (2469 कर्मचारियों) को 'आने' की अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच ने एक ही श्रेणी के कर्मचारियों से आने वाली इन तीन उप श्रेणियों के खिलाफ भेदभाव के तर्क पर विचार किया। [पैरा 20,21] [1002-ई-एच; 1003-ए] 1.7 इस मामले पर डिवीजन बेंच द्वारा आई. आई. टी. जैसे शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के संदर्भ में आगे विचार किया गया, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय। यदि अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को कार्यकाल विस्तार देकर विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, तो खंड पीठ को कोई कारण नहीं मिला कि शशि किरण बैच के मामलों में कर्मचारियों को इसी तरह का विकल्प क्यों नहीं दिया जा सका। [पैरा 21] [1003-बी-सी] 1.8 शशि किरण बैच के मामलों में उन 2469 कर्मचारियों के साथ किया गया अलग व्यवहार किसी भी तर्क पर आधारित नहीं था। कोई उचित कारण सामने नहीं आ रहा था। अगर उन 2469 कर्मचारियों को समानता के सिद्धांत पर जी. पी. एफ. में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है, भले ही उन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प चुना हो।

या समानता, मामला निश्चित रूप से बनाया गया था। [पैरा 22] [1003-डी ई] 1.9 यदि खंड पीठ के निर्णय की पुष्टि की जाती है तो इस मामले पर वित्तीय प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। दिनांक 01.05.1987 की अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी

01.01.1986 के बाद सेवा में शामिल होना हमेशा जी. पी. एफ. के तहत होगा। उन लोगों के संबंध में जो 01.01.1986 पर सेवा में थे, कहा कि कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में "आया" माना जाएगा जब तक कि सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग कटौती की तारीख से पहले जानबूझकर नहीं किया गया था। इस प्रकार, जब योजना तैयार की गई थी और इसे लागू करने की मांग की गई थी, तो संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों की संख्या और निधि के प्रबंधन पर प्रभाव की संभावना जैसे पूरे परिमाण को ध्यान में रखा गया है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन के माध्यम से उचित रिटर्न दिया जा सके। अधिसूचना के इरादे के अनुसार, जिन्हें सी. पी. एफ. का विकल्प चुनना था, वे एक अपवाद [2022] 7 एस. सी. आर. थे।

और सामान्य नियम यह था कि 01.01.1986 के बाद हर कोई सामान्य रूप से जी. पी. एफ. द्वारा कवर किया जाएगा। यह इस संदर्भ में है कि शशि किरण बैच के मामलों में मूल याचिकाकर्ताओं की संख्या होनी चाहिए

देखा है। संबंधित केवल 75 व्यक्तियों के साथ है। दूसरी ओर, 2469 कर्मचारियों सहित अधिकांश लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि रिवर्स स्विचओवर का विकल्प और उन्हें जी. पी. एफ. के तहत सभी लाभों की अनुमति दी गई थी। यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि जब अधिसूचना दिनांक 01.05.1987 जारी की गई थी, तो अधिकारी इस संभावना से अवगत थे कि सभी कर्मचारी जी. पी. एफ. के पास आ सकते हैं। उस संभावना को ध्यान में रखते हुए, कोष का गठन किया गया और मामलों की व्यवस्था की गई। उन 75 कर्मचारियों का स्थानांतरण

किसी भी तरह से निधि की ताकत और चरित्र को प्रभावित नहीं करेगा यदि एक दिशा है कि द्वारा किया गया पूरा योगदान उचित ब्याज दर के साथ अधिकारियों को वापस किया जाना जारी किया जाता है। इन 75 याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2010 में अदालत का रुख किया था। इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि बाढ़ के द्वार खुलेंगे और राज्य के संसाधनों पर पानी की निकासी होगी। इसलिए, एक निर्देश जारी किया जा सकता है, जैसा कि एकल न्यायाधीश ने आर. एन. विरमानी बैच के मामलों में अपने फैसले में किया था और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत सरल ब्याज के साथ सी. पी. एफ. के तहत योगदान की भरपाई के लिए अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट पत्र में किस पहलू का उल्लेख किया गया था। [पारस 23-24] [1003-E-H; 1004 A-D]

1.10 अभिलेख पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शशि किरण मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय

प्रति वर्ष 8 प्रतिशत सरल ब्याज के साथ सी. पी. एफ. के तहत योगदान की भरपाई के लिए निर्देश की सीमा के अलावा मामलों के समूह में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह संभव है कि इतने लंबे समय तक, शशि किरण बैच के मामलों के कुछ कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में बदलने में रुचि न हो। लेकिन उन्हें इस तरह से एक विकल्प दिया जाना चाहिए जो अधिकारियों को उचित लगे। [पैरा 25] [1004-ई]

कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1990) 4 एस. सी. सी. 207: [1990] 3 एस. सी. आर. 352; राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम द्वारका प्रसाद कूलवाल और

अन्य (2015) 12 एस. सी. सी. 51: [2014] 13 एससीआर 492 -

प्रतिष्ठित।

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

भारत संघ और एक अन्य v. एस. एल. वर्मा और अन्य (2006) 12 एससीसी 53: [2006] 9 पूरक। एससीआर 770; डी. एस.

नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एस. सी. सी. 305: [1983]

2 एस. सी. आर. 165-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 9 पूरक। एससीआर 770

पै

रा 6 (ii)

संदर्भित किया गया है

[1983] 2 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1990] 3 एससीआर 352

प्रतिष्ठित

पै

रा 21

[2014] 13 एससीआर 492

प्रतिष्ठित

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.3797

3809 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 24.08.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में एल. पी. ए. Nos.410-414,416-418,558,594,667,672 में और 2014 का 780।

के साथ

सिविल अपील सं। 3850 , 3852 , 3851 और 2022 का 3810-3849।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, अमन सिन्हा, पी. एस. पटवालिया, के. के. राय,

अनीप सचथे, मिलिए मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय कुमार पाठक, नूपुर सिन्हा, सुश्री शशि पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, सुश्री विशाखा, पार्थिव गोस्वामी, साहिल मोंगा, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री शेफाली जैन, राजेश प्रसाद सिंह, एस. एम. दीनदयाळन, सुश्री टी. अर्चना, अंशुल राय, सुश्री श्रेओशी चटर्जी, रामकृष्ण वीरेंद्र, तनुज खुराना, सुश्री अंजलि चौहान, अंकुर गुप्ता, नर हरि सिंह, एस. के. पांडे, अवनीश कुमार, चंद्रशेखर ए. चकलब्बी, रवि एस. चौहान, विकास मेहता, कौशल सरकार, प्रताप शंकर, अंकित कुमार, श्वेतांक शांतनु, अरविंद कुमार।

गुप्ता, प्रशांत भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज, शौर्य डोगरा, सिद्धार्थ शंकर रे, सक्षम माहेश्वरी, जगजीत सिंह छाबड़ा, अमर नाथ गुप्ता, कमलेश के. मौर्य, संतोष कुमार साहू, रामेश्वर प्रसाद।

गोयल, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, सत्य काम शर्मा, विकास कुमार, मनीष पालीवाल, देवमणि बंसल, अतिव माथुर, सी. एस. एन. मोहन राव, आर. संथाना कृष्णन, लोकेश कुमार शर्मा, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, सुश्री आभा आर. शर्मा, यतेंद्र सिंह जाफा, राहुल प्रताप, रोमी चाको, शक्ति चंद जैदवाल, संतोष कुमार-I, सुश्री ईशा जैन, मोहिंदर जीत सिंह, हार्दिक रूपल, अमित कुमार, अर्जुन हरकौली, सुश्री।

22] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मालिनी पोदुवाल, अभिजात पी. मेध, आदित्य रंजन, डी. एस. चौहान, सतपाल सिंह, मयंक गोयल, मैसर्स यू. एन. यू. सी. लीगल एल. एल. पी., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय ('विश्वविद्यालय', संक्षेप में) की ये अपीलें दिनांकित 24.08.2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील्स 1 में पारित किया गया, जिसने बदले में विभिन्न रिट याचिकाओं 2 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को चुनौती दी थी।

3. उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर करने के लिए बुनियादी तथ्य इस प्रकार हैं:

सभी रिट याचिकाकर्ता शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य हैं।

ए।

विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थानों में कार्य करना जो या तो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं या विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं। शिक्षण कर्मचारियों की सेवा की शर्तें कुछ हद तक समान हैं - केंद्र सरकार के कर्मचारी।

06.06.1985 पर, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो

बी।

अंशदायी भविष्य निधि (संक्षेप में, "सी. पी. एफ".) द्वारा शासित लोगों को सामान्य भविष्य निधि का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।

और पेंशन योजना (संक्षेप में, "जी. पी. एफ".)। इसके बाद ए

2014 का 1 एल. पी. ए. Nos.410-414,416-418,558,594,667,672 और 780; 554,606,607,608, 609 , 610 , 615 , 616 , 617 , 618 , 619 , 622 , 623 , 624 , 625 , 626 , 627 , 628 , 629 , 632 , 633 , 635 , 636 , 637 , 638 , 639 , 640 , 641 , 642 , 643 , 644 , 645 , 646 , 647 , 648 , 650 , 651 , 653 , 654 , 655 2014 की और अन्य संबंधित अपीलें।

2 2006 की रिट याचिका संख्या 1490 और संबंधित मामले, रिट याचिका (सी) संख्या। 5631 2010 का 1216,2011 का 3631,2011 का 3863,2011 का 5495, डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं।

6009 2011 का सीएम नंबर 12140 और 2011 का डब्ल्यू. पी. (ग) 2011 का No.5106 और 2011 का सीएम नंबर 10351, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.5975 और 2010 का सी. एम. संख्या 11775, डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 5979 2010 का सीएम No.11782 और 2010 का डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.5980 और 2010 का सी. एम. संख्या 11784, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.5981, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.5982 और 2010 का सी. एम. संख्या 11787, डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 5985 2010 का और 2010 का सी. एम. सं. 11793; डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं

. 2036 2010 में, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.2037, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.3095 और 2011 का सीएम संख्या 7718, डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 5759 2010 में, डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.7310 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 का No.8560।

दिल्ली का बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

[उदय उमेश ललित, जे।]

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी

सी. पी. एफ. से सी. पी. एफ. में कर्मचारियों के परिवर्तन का दृश्य

पी. एफ. 1.5.1987 पर जारी उक्त अधिसूचना में विचार किया गया कि

1 सी. पी. एफ. लाभार्थी जो 01.01.1986 पर सेवा में थे

डी अभी भी सेवा में थे "आया" माना जाएगा

जी. पी. एफ. के लिए जब तक कि एक विपरीत विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था

उन्हें सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के लिए 30.09.1987 द्वारा लिखित रूप में लिखा गया है। उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार थेः

" केंद्र सरकार के कर्मचारी जो शासित हैं

अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी. पी. एफ.)

योजना) को अतीत में बार-बार विकल्प दिए गए हैं।

पेंशन योजना में आने के लिए। इस तरह का आखिरी

कार्मिक विभाग में विकल्प दिया गया था और प्रशिक्षण। ओ. एम. नं. एफ 3 (1)-पेंशन इकाई/85, दिनांकित

6 " जून, 1985। हालांकि, कुछ केंद्र सरकार

कर्मचारी अभी भी सी. पी. एफ. योजना के तहत काम करते हैं। द.

1 जनवरी, 1986 को सेवा में सभी सी. पी. एफ. लाभार्थी, यह माना जाना चाहिए कि वह पेंशन में आया है

उस तारीख को योजना जब तक कि वे विशेष रूप से बाहर नहीं निकलते हैं

सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखें।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि

उक्त सिफारिश स्वीकार की जाएगी और

जिसे आगे बताए गए तरीके से लागू किया गया है।

3.1 सभी सी. पी. एफ. लाभार्थी, जो पहली तारीख को सेवा में थे

जनवरी, 1986, और जो अभी भी सेवा में हैं

इन आदेशों को जारी करना। , 1 सेंट मई, 1987) माना जाएगा

पेंशन योजना में आना।

3.2 ऊपर वर्णित श्रेणी के कर्मचारी

हालांकि, सी. पी. एफ. के तहत जारी रखने का विकल्प होगा।

योजना, यदि वे चाहें। विकल्प होना चाहिए प्रयोग किया गया और संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रेषित किया गया

यदि कर्मचारी चाहें तो 30-9-1987 द्वारा संलग्न प्रपत्र में सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखना। यदि कोई विकल्प नहीं है

कर्मचारियों को माना जाएगा कि वे आ गए हैं पेंशन योजना।

***

***

3.6 एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

***

***

***

परमाणु ऊर्जा विभाग के तकनीकी कर्मी, अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग

ऐसे अन्य वैज्ञानिक विभागों ने अपनाया है परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रचलित प्रणाली।

उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। बेशक। [इस परिशिष्ट में आदेश (3) देखें।]

8. इन आदेशों की सहमति से जारी किया जाता है

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वीडियो उनके यू. ओ. No.2038/आई. एस. (पर्स.)/87, दिनांक 13-4-1987। "

लगभग उसी समय, केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 05.05.1987 पर एक संदेश भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि भारत के माननीय राष्ट्रपति

अपने कर्मचारियों को जी. पी. एफ., सी. पी. एफ., उपदान आदि से संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए क़ानून 28ए में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी देना। विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने स्वयं के कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए समान आदेश के अनुसरण में। संशोधित क़ानून 28-ए निम्नानुसार हैः

" 28 - एः इस क़ानून में जब तक कि कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ मेंः

(1)

*

*

*

*

(2)

*

*

*

*

(3)

*

*

*

*

(4)

*

*

*

(5) सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी और भुगतान इस कानून के तहत प्रवेश इस तरह से विनियमित होगा

द्वारा जारी किए जाने वाले प्रक्रियात्मक निर्देश

कार्यकारी परिषद। संशोधन को मंजूरीः

क़ानून 28-ए में निम्नलिखित को खंड 5 के रूप में जोड़ें और

खंड 5 और 6 को खंड 6 और 7 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जा सकता है।

क्रमशः।

दिल्ली का बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

[उदय उमेश ललित, जे।]

अपने कर्मचारियों को सामान्य से संबंधित अधिक लाभ देना भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन

ग्रेच्युटी आदि जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हैं

विश्वविद्यालय के कर्मचारी करेंगे से प्रभाव के साथ समान लाभों का हकदार होना

केंद्र द्वारा इस तरह के संशोधन को लागू करने की तारीख

सरकार अपने कर्मचारियों के संबंध में "।

(6)

*

*

(7)

* 99

*

इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी

ए 25.05.1987 में कहा गया है कि सेवा में सभी सी. पी. एफ. लाभार्थी

01.01.1986 माना जाएगा कि "ऊपर आया" है

क़ानून 28-ए के तहत पी. एफ. जब तक कि ऐसे कर्मचारियों ने विकल्प नहीं चुना था

सी. पी. एफ. के तहत जारी रखें। अधिसूचना का अनुच्छेद '5'

निम्नलिखित प्रभाव के बारे में:

" 5. अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

अस्थायी कर्मचारी, जो सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं या आगे के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित होने पर

होने के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा सेवा

कम से कम 10 वर्ष की अस्थायी सेवा प्रदान की,

सेवानिवृत्ति/अमान्य के अनुदान के लिए पात्र होगा

पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन

स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य समान पैमाना।

भारत कि पेंशनभोगी जिन्होंने एक हिस्से को परिवर्तित किया है उनकी पेंशन और 1.4.85 या उसके बाद पूरी हो गई है।

या अपनी संबंधित तिथियों से 15 साल पूरे करेंगे सेवानिवृत्ति में उनकी पेंशन का परिवर्तित हिस्सा होगा।

पुनर्स्थापित किया। वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि

सभी सी. पी. एफ. लाभार्थी जो 1.1.1986 पर सेवा में हैं

यह माना जाना चाहिए कि वह पेंशन के लिए आया है

सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखें। यह सिफारिश भारत सरकार द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है।

संशोधित पेंशन लाभों को ध्यान में रखते हुए, कुलपति ने विकल्प के संबंध में भारत सरकार के उपरोक्त निर्णय को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय में भी अपनाया जाएगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी अंशदायी भविष्य निधि

जो लाभार्थी विश्वविद्यालय में 1.1.1986 पर सेवा में हैं, उन्हें क़ानून 28-ए परिशिष्ट 'ए' के तहत पेंशन योजना में आया माना जाना चाहिए, जब तक कि वे विशेष रूप से सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखने का विकल्प नहीं चुनते हैं।

(कानून 28-ए, परिशिष्ट 'बी')।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन श्रेणियों बी, सी और डी के लाभार्थियों के लिए संशोधित ग्रेड घोषित किए गए हैं और उन्हें लागू किया गया है, उन्हें दिया जाएगा।

सी. पी. एफ. योजना (क़ानून 28-ए परिशिष्ट 'बी') के तहत जारी रखने का विकल्प चुनने के लिए इस अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय। श्रेणी ए-सी. पी. एफ. लाभार्थियों के लिए एक ही उद्देश्य के लिए तीन महीने की अवधि की गणना विश्वविद्यालय द्वारा गोद लेने की तारीख से की जाएगी।

चतुर्थ वेतन के आधार पर संशोधित वेतनमान

आयोग की सिफारिशें, यू. जी. सी. समिति की सिफारिशें

रिपोर्ट करें। जिन कर्मचारियों ने पहले ही चुना है

कानून 28 के तहत योजना-एक परिशिष्ट 'ए' आगे किसी भी विकल्प के लिए पात्र नहीं होगा। ये आदेश भी होंगे

-दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने वालों पर लागू होगा। द. इस अधिसूचना की सामग्री को प्रत्येक कर्मचारी के ध्यान में लाया जाएगा और कार्यालय में प्राप्त इन आदेशों को नोट करने और चुनने के लिए उसकी स्वीकृति दी जाएगी।

रिकॉर्ड करें "।

शेष कर्मचारियों को, ऊपर निर्दिष्ट संबंधित अधिसूचना के प्रावधान के आधार पर, जी. पी. एफ. के पास "आया" माना गया। हालांकि, विश्वविद्यालय सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प के प्रयोग के लिए विस्तार देता रहा। इस प्रकार, पहले दो विस्तारों को 5.10.1987 TY of Delhi v. के संचार के माध्यम से प्रदान किया गया था।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

द्वारा दिए गए दो विस्तारों के दौरान सी. पी. एफ. के तहत जारी रखें विश्वविद्यालय।

9.2.1989 , 4.6.1989 , 17.9.1989 , 12.07.1991 , 20.12.1991 , 16.07.1993 , 12.07.1994 , 15.03.1996 , 09.01.1998 , 04.03.1998 और 16.11.1998। अंतिम अधिसूचना के तहत विकल्प के प्रयोग के लिए कटऑफ तिथि 31.1.1999 थी। इन 11 कर्मचारियों द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान लगभग 2469 कर्मचारियों ने विकल्प का उपयोग किया सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने के लिए अधिसूचनाएँ।

25.5.1999 पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ("यू. जी. सी"., संक्षेप में) द्वारा कुलसचिव को एक पत्र लिखा गया था।

विश्वविद्यालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में विकल्प का उपयोग केवल आईडी2 तक किया जा सकता है और यदि उक्त तिथि तक कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ तो कर्मचारियों को पेंशन योजना में "आया" माना जाता था और इस प्रकार, एक बार उपयोग किए जाने के बाद विकल्प अंतिम था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कर्मचारियों को समय सीमा के बाद सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने के लिए दिया गया संशोधित विकल्प गलत था और इसलिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए लाभ की लागत, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं से पूरी की जानी चाहिए।

स्रोतों। संचार का प्रासंगिक हिस्सा थाः

" जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी केंद्र सरकार के जी. पी. एफ./सी. पी. एफ. नियमों द्वारा शासित होते हैं। भारत सरकार ने 1 मई, 1937 को अपने O.M.No.4/I/87-PIC के माध्यम से (प्रति संलग्न) कर्मचारियों को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए 30.09.87 के रूप में एक कट-ऑफ तिथि दी थी, यदि वे सी. पी. एफ. योजना द्वारा शासित बने रहना चाहते हैं, और यदि उपरोक्त तिथि तक ऐसा कोई विकल्प प्रयोग नहीं किया गया था, तो सभी कर्मचारियों को भारत सरकार की जी. पी. एफ. योजना में शामिल माना गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि सी. पी. एफ. योजना में बने रहने के विकल्प का उपयोग करने के लिए कोई विस्तार सरकार के अनुसार स्वीकार्य नहीं होगा।

30.9.87 के बाद भारत के नियम।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सी. पी. एफ. 1 जनवरी, 1986 को सेवा में थे और जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को भी सेवा में हैं (अर्थात। 1 मई, 1987) इसलिए स्वचालित रूप से पेंशन योजना में आ गए हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रहने के विकल्प का प्रयोग किया है, यदि वे चाहते हैं तो विशिष्ट तिथि यानी 30.09.87 तक उचित विचार के बाद ऐसा किया है। चूंकि विकल्प 30.9.87 तक दिया गया था और आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि उपरोक्त तिथि तक कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो कर्मचारियों को पेंशन योजना में आया माना जाएगा और एक बार उपयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। सी. पी. एफ. योजना से जी. पी. एफ. योजना में वापस आने के लिए कर्मचारियों द्वारा फिर से दिया गया और विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया गया संशोधित विकल्प बिल्कुल गलत और नियम के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया

उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें 30.9.87 के बाद सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में परिवर्तन का विस्तार दिया गया है और ऐसे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति देनदारियों का लाभ दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से पूरा किया जा सकता है और इसे केवल अप्रमाणित माना जाएगा।

विश्वविद्यालय के रखरखाव अनुदान का निर्धारण करते समय व्यय। रखरखाव अनुदान की अगली किस्त

उपरोक्त की प्राप्ति के बाद ही जारी किया जाएगा।

जानकारी दी। ”

संबोधित 18.09.1999 दिनांकित संचार के जवाब में

सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में स्थानांतरित करने के विकल्प के संबंध में यू. जी. सी. द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार ("एम. एच. आर. डी".) ने 19.06.2000 पर जवाब दिया और कहाः

" ..... उस मंत्रालय ने सी. पी. एफ. योजना से सी. पी. एफ. में बदलने के लिए एक और विकल्प की अनुमति देने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया है।

यू. जी. सी. के कर्मचारियों के लिए जी. पी. एफ. योजना और

इसके द्वारा बनाए गए संस्थान "।

8.08.2001 पर, यू. जी. सी. ने फिर से एम. एच. आर. डी. से सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने के विकल्प के अभ्यास के लिए एक विस्तार की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालाँकि, इस प्रस्ताव को टीवाई ऑफ़ दिल्ली बनाम ने अस्वीकार कर दिया था।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय इस आधार पर कि पेंशन योजना शुरू करने की लागत सी. पी. एफ. की तुलना में बहुत अधिक थी और इस तरह की लागत वेतन के पैमाने में हर संशोधन के साथ लगातार बढ़ेगी और आगे भी बढ़ेगी।

कि इस तरह के प्रस्ताव की स्वीकृति व्यापक होगी कई समान रूप से रखे गए स्वायत्त निकायों के साथ प्रभाव

समान विस्तार की मांग।

इन परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की राहतों में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं को दिनांक 21.05.2012 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

महाविद्यालय।

जिन कर्मचारियों ने किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और इस प्रकार में विचार किए गए प्रावधानों के आधार पर

01.05.1987 की अधिसूचना को जी. पी. एफ. के पास "आया" माना गया था; लेकिन पुरानी सी. पी. एफ. योजना के तहत योगदान करना जारी रखने के कारण सी. पी. एफ. के तहत माना जा रहा था। इस समूह को बाद में दिए गए निर्णयों में "मामलों के आर. एन. विरमानी समूह" के रूप में संदर्भित किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा। जिन कर्मचारियों ने अधिसूचना दिनांक 01.05.1987 के तहत विचार की गई कटऑफ तिथि तक विकल्प का उपयोग नहीं किया था और इस प्रकार उन्हें जी. पी. एफ. में "आया" माना गया था; हालाँकि, ऐसे कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय द्वारा 01.10.1987 से 29.02.1988 के बीच दिए गए पहले दो विस्तारों के दौरान सी. पी. एफ. योजना के तहत रहने के विकल्प का उपयोग किया था; और अब प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें जी. पी. एफ. के तहत रहने की अनुमति दी जाए। मामलों के इस समूह को एन. सी. बख्शी समूह के रूप में वर्णित किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में मामले।

जिन कर्मचारियों ने 30.09.1987 यानी मूल कटऑफ तिथि तक सकारात्मक विकल्प का प्रयोग किया था, जिनके बारे में नीचे विचार किया गया है

कट-ऑफ तिथि उन्हें जी. पी. एफ. में "आने" में सक्षम बनाने के लिए। मामलों के इस समूह को "शशि किरण" के रूप में संदर्भित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में मामलों का समूह।

हम, मामलों के तीनों बैचों के कर्मचारी सी. पी. एफ. के तहत होने के बजाय बनना चाहते थे और इसलिए [2022] 7 एस. सी. आर. के लिए प्रार्थना कर रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

o इस तरह के बदलाव की सुविधा प्रदान करें। ऐसे प्रयासों का कारण था

विश्वविद्यालय द्वारा संबोधित 3 पत्रों में से एक में स्पष्टता के साथ

निम्नानुसारः

" ..... मुझे 376 शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं

इस विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय और विभाग

सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. सह पेंशन योजना में बदलने के लिए एक नए विकल्प के अनुदान के लिए अनुरोध करते हुए यू. जी. सी. के अध्यक्ष को संबोधित किया। उन सभी को 1.1.1986 से पहले नियुक्त किया गया था। इन अभ्यावेदनों ने जी. पी. एफ. सह पेंशन योजना और सी. पी. एफ. योजना के बीच भारी असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्षों से और विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में-सरकारी निर्णयों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पेंशन लाभ के हकदार लोगों को सी. पी. एफ. योजनाओं के हकदार लोगों की तुलना में कहीं अधिक लाभप्रद स्थिति में रखा गया है। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, अब 40 प्रतिशत पेंशन को परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को भारी एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है। पंद्रह साल बाद संचार बहाल हो जाता है। सी. पी. एफ. वाले लोगों को केवल एकमुश्त भुगतान मिलता है जिसमें उनका अपना योगदान भी शामिल होता है। पेंशन है।

अब पूरी तरह से मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित है और उनका नाममात्र मूल्य हर साल दो बार बढ़ता है, सी. पी. एफ. के मामले में, सरकार इसकी समग्र राजकोषीय और वृहत आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर 1998 में 12 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर आज 8 प्रतिशत हो गई है।

जबकि उच्च ब्याज दरों ने सी. पी. एफ. योजनाओं को बनाया

आकर्षक गिरावट आई है, मुद्रास्फीति अनुक्रमण के कारण पेंशन का नाममात्र मूल्य बढ़ता जा रहा है। यह सब है

जी. पी. एफ.-सह-पेंशन और सी. पी. एफ. योजनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता पैदा हुई। एक मोटे हिसाब के अनुसार, समान रूप से नियुक्त दो प्रोफेसरों के मामले में यह समय की अवधि में कई लाख रुपये में चल सकता है। मुझे लगता है कि इस अनुरोध में योग्यता है कि जो लोग सी. पी. एफ. योजना में बने हुए हैं, उन्हें सी. पी. एफ. वाले लोगों द्वारा योजना को चुनने के कानूनी रुख को अपनाने के बजाय जी. पी. एफ. सह पेंशन योजना में जाने का एक नया विकल्प दिया जाना चाहिए। सरकार, एक निष्पक्ष नियोक्ता के रूप में, कृपया इसे हटाने के लिए कार्रवाई कर सकती है

सी. पी. एफ. वाले और जी. पी. एफ. वाले लोगों के बीच बढ़ती असमानता

टेड 21.12.2006, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के रूप में विद्वान एकल के निर्णयों में निकाला गया था।

टी. वाई. ऑफ दिल्ली बनाम एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

आई. एम. पेंशन योजनाएं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया

सी. पी. एफ. योजना में शामिल लोगों को एक नया विकल्प देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाएं।

जी. पी. एफ.-सह-पेंशन योजना पर जाएँ।

उच्च न्यायालय के विद्वान द्वारा दिनांकित तीन अलग-अलग निर्णयों द्वारा मामलों के तीन जत्थों का निपटारा किया गया था।

एन. विरमानी मामलों का समूह

विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ वजन रखने वाला तर्क

यह थाः " 14. मेरे विचार में, इस प्रश्न का उत्तरः इस बारे में कि क्या जिन कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने की अपनी इच्छा के संबंध में कोई स्पष्ट संचार जारी नहीं किया था, वे पेंशन योजना के दायरे में आते हैं।

काफी हद तक ओ. एम. दिनांकित के प्रावधानों पर निर्भर करता है।

01.05.1987 , स्वयं।

14.1 यह मेरे सामने विवाद में नहीं है कि ओ. एम. ने तारीख दी थी।

01.05.1987 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने कुलपति से उस ओर से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, दिनांकित 25.05.1987 अधिसूचना को दिनांकित 04.06.1987 अधिसूचना के साथ पढ़ा गया था। इसलिए, मेरी राय में, बहुत कुछ संबंधित खंड की भाषा पर निर्भर करेगा

ओ. एम. दिनांकित 01.05.1987 उक्त ओ. एम. स्पष्ट रूप से लागू होता है

वे सभी कर्मचारी जो 01.01.1986 पर सी. पी. एफ. लाभार्थी थे। खंड 3 के साथ पठित खंड 3 स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत देता है कि ऐसे सभी कर्मचारी, जो सी. पी. एफ. लाभार्थी हैं, को पेंशन योजना में तब तक माना जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी (कर्मचारी) ने अपना आवेदन जमा नहीं कर दिया हो। सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने का विकल्प। यह विकल्प निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय प्रमुख को 30.09.1987 द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। यदि कार्यालय प्रमुख को 30.09.1987 द्वारा कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ, तो कर्मचारी

माना जाता था कि वे पेंशन योजना में आए थे। इसलिए, कानूनी कल्पना द्वारा एक बार, डीमिंग क्लॉज शुरू किया गया, जिन्होंने जारी रखने के लिए अपना विकल्प फॉर्म जमा नहीं किया।

सी. पी. एफ. योजना के तहत पेंशन द्वारा कवर किया गया था

योजना। "[2022] 7 एस. सी.

आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर विद्वान न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंशों पर भरोसा कियाः

भारत संघ में इस न्यायालय का निर्णय और

अन्य वी। एस. एल. वर्मा और अन्यः

" .....4 . केंद्र सरकार और प्रत्यर्थी भी

No.14-भारतीय मानक ब्यूरो कुछ कानूनी गलत धारणा पर आगे बढ़ा है कि उक्त उद्देश्य के लिए एक सकारात्मक विकल्प देना उक्त कर्मचारियों की ओर से अनिवार्य था। पहली बार 2.2.1999 पर, प्रत्यर्थी No.14 ने भारत संघ से उत्तरदाताओं को पेंशन योजना में बदलने का एक और मौका देने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कथित तौर पर कट-ऑफ तिथि पर सी. पी. एफ. योजना के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया है।

7. केंद्र सरकार, हमारी राय में, एक बुनियादी गलत धारणा पर आगे बढ़ी। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.5.1987 के कारण एक कानूनी कल्पना बनाई गई थी। केवल तभी जब कोई कर्मचारी जानबूझकर सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो वह पेंशन योजना का सदस्य नहीं बन पाएगा। यह विवादित नहीं है कि उक्त उत्तरदाताओं ने 30.9.1987 द्वारा अपने विकल्प नहीं दिए। मामले के उस दृष्टिकोण में प्रत्यर्थी सं। 1 13 तक, बनाई गई कानूनी कल्पना को देखते हुए, पेंशन योजना के सदस्य बन गए। एक बार जब वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए, तो भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारी सेवा नियम और शर्तें, 1988) का विनियमन 16 उनके मामले में भी लागू हो गया था। यह हो सकता है कि उन्होंने बाद के चरण में सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने का विकल्प बनाया हो, लेकिन अगर कानूनी कल्पना के कारण वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए, तो सी. पी. एफ. में उनके लौटने का सवाल ही नहीं उठेगा।

प्रत्यर्थी No.14 सही ढंग से आया है

निष्कर्ष कि एक विसंगति पैदा की जाएगी और वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कथित कथित विकल्प

13 तक अवैध था जब एक अनुरोध किया गया था प्रत्यर्थी No.14 भारत संघ को अनुदान के लिए

3 टी. वाई. ऑफ दिल्ली बनाम एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

अनुमोदन ताकि वे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आ सकें। हमारी राय में, वित्त मंत्रालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि पेंशन योजना अस्तित्व में नहीं थी और यह एक नई योजना थी। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, दो कानूनी कल्पनाएँ बनाई गई थीं, एक ज्ञापन के कारण, और

स्वीकृति के कारण अन्य

डब्ल्यूपी (सी) 1490-1507/2006 और संबंधित मामले 33 योजना का पृष्ठ 26, जिसका अर्थ होगा कि वे नहीं सी. पी. एफ. योजना में लंबे समय तक रहे।

(विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया जोर)

उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क को निम्नानुसार निपटाया गया थाः " 16. उत्तरदाताओं द्वारा मेरे समक्ष उठाया गया तर्क, जो अनुमोदन की ओर बढ़ा, इस तथ्य पर आधारित था कि याचिकाकर्ताओं ने सी. पी. एफ. योजना के तहत योगदान करना जारी रखा था। ओ. एम. दिनांकित 01.05.1987 की साधारण शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्तुति से मेरे लिए बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। यदि, पेंशन योजना के तहत कवर, 30.09.1987 से प्रभावी हो जाता है, तो एक कर्मचारी द्वारा योगदान और नियोक्ता द्वारा इसकी रसीद स्पष्ट रूप से एक पर आगे बढ़ती है

ओ. एम. दिनांकित 01.05.1987 के प्रावधानों की गलत धारणा।

WP (C) 1490-1507/2006 और संबंधित मामले 33 का पृष्ठ 29 वास्तव में, इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने एस. एल. वर्मा के मामले में खारिज कर दिया था, और मुझे लगता है, अच्छे कारण के लिए। नतीजतन, इस तरह के तर्क का मनोरंजन करने के लिए कोई जगह नहीं है। में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ

पैराग्राफ 7, जो इस पहलू के लिए विशिष्ट है, एक बार फिर इसके बाद निकाला गया है।

" .....यह सही हो सकता है कि उन्होंने बाद के चरण में सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने का विकल्प बनाया था, लेकिन अगर कानूनी कल्पना के कारण वे पेंशन योजना के सदस्य बन गए, तो सी. पी. एफ. में उनके लौटने का सवाल ही नहीं उठेगा।

इसलिए यह निर्देश दिया गया थाः " 20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता दिल्ली विश्वविद्यालय/संबंधित कॉलेज सी. पी. एफ. योजना के तहत अपने योगदान को 8 प्रतिशत की दर से सरल ब्याज के साथ वापस लेने के हकदार होंगे, यदि पहले से ही वापस नहीं लिया गया है।

पी. ए. "

इस प्रकार याचिकाओं को अनुमति दी गई। एन. सी. बख्शी मामलों का समूह

i) मामलों के इस समूह का निर्णय करते समय, आर. एन. विरमानी मामलों के समूह के निर्णय पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा किया गया था कि सी. पी. एफ. के तहत रहने के विकल्प का उपयोग याचिकाकर्ताओं द्वारा कट-ऑफ तिथि के बाद और केवल विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विस्तार के दौरान किया गया था, जो विस्तार बिना किसी अधिकार के थे। यह देखा गयाः

" रिट के बैच में मेरे द्वारा दिए गए फैसले में

याचिकाएँ, जिनमें प्रमुख याचिका को इस प्रकार क्रमांकित किया गया थाः

डब्ल्यूपी (सी) 1490/2006-1507/2006, शीर्षकः डॉ. आर. एन. विरमानी और ओआरएस। बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्र। , मैंने रखा है।

कि ओ. एम. दिनांकित 01.05.1987 के प्रावधान आवश्यक हैं।

एक सकारात्मक विकल्प केवल तभी दिया जाना चाहिए जब एक कर्मचारी था

सी. पी. एफ. योजना को जारी रखने की इच्छा और वह

30.09.1987 द्वारा भी। घटना में, कोई सकारात्मक विकल्प नहीं था

अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले कर्मचारी से प्राप्त सी . पी. एफ. योजना को जारी रखने के लिए कर्मचारी

द्वारा पेंशन योजना द्वारा स्वचालित रूप से कवर किया गया था के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना का गुण

ओ. एम. दिनांक 01.05.1987 के प्रावधान। यह

ओ. एम. दिनांक 01.05.1987, विशेष रूप से, खंड 3.1 और 3.2 और उसके साथ जोड़ा गया प्रपत्र। जैसा कि उल्लेख किया गया है

निर्णय, यह भी सर्वोच्च द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है

भारत संघ और ए. एन. आर के मामले में न्यायालय। बनाम एस. एल. वर्मा और ओआरएस। , (2006) 12 एससीसी 53. के लिए

संक्षेप में, मैं विस्तार से तर्क नहीं दे रहा हूँ
उक्त निर्णय में प्रदान किया गया है। की गई टिप्पणियाँ
उक्त निर्णय में वर्तमान के हिस्से के रूप में पढ़ा जाए
निर्णय लें।

***

***

*** दिल्ली का बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी।

[उदय उमेश ललित, जे।]

4.2 वकीलों के उपरोक्त रुख को ध्यान में रखते हुए

यू. जी. सी., दिल्ली विश्वविद्यालय और संबंधित के लिए

महाविद्यालय, मैं केवल इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता हूँ कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ताओं ने सी. पी. एफ. योजना में बने रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, वे स्वचालित रूप से पेंशन योजना द्वारा कवर हो गए, एक बार जब 30.09.1987 की कट-ऑफ तिथि पार हो गई। इसलिए, इन रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में, उन मामलों को छोड़कर, जहां याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के बाद, बिना विरोध के (या तो अदालत में कार्रवाई दायर करके या अन्यथा) सी. पी. एफ. योजना के तहत उनके लाभ प्राप्त हुए, देरी और अड़चनों के कारण आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि डॉ. आर. एन. विरमानी के फैसले में बताया गया है कि देरी और अड़चनें आकर्षित नहीं होंगी क्योंकि इन मामलों में कार्रवाई का कारण अगर जारी नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से बार-बार होता है, हर बार रिकॉर्ड ठीक नहीं किया गया। (इस फैसले के साथ आज मेरे द्वारा दिए गए डॉ. आर. एन. विरमानी के फैसले के पैराग्राफ 17.3 और 17.4 पढ़ें)। ऐसे याचिकाकर्ताओं को राहत की उपलब्धता, जिन्होंने बिना अपने सी. पी. एफ. लाभ एकत्र किए

विरोध, कोई भी इनकार करेगा, ओ. एम. दिनांकित 01.05.1987 के प्रावधानों की व्याख्या पर नहीं, बल्कि समानता के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इस तरह के मामलों में एक विवेकाधीन उपाय होने के कारण, मुझे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक बार जब बिना विरोध के सी. पी. एफ. लाभ एकत्र किए जाते हैं तो कार्रवाई का कारण निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए, डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 5981/2010 में याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी याचिकाकर्ताओं को लिखित याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

WP (C) No.1216/2011 में याचिकाकर्ता No.11।

उन मामलों के अपवाद के साथ जहां सी. पी. एफ. लाभ याचिकाकर्ताओं से संबंधित थे, इस समूह की सभी याचिकाएं

ऋणी है।

प्रासंगिक तथ्यों और प्रस्तुतियों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः(iv) कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के अनुसार, जिसे प्रतिवादी सं। 4 डब्ल्यू. पी. (सी) में

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

5759/2010 , उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों को बदलने के लिए 09.02.1989 से 16 वीं/17th.11.1998 और 20.11.1998 से 16.12.1998 के बीच बारह (12) विस्तार दिए गए थे,

सी. पी. एफ. योजना से लेकर पेंशन योजना तक। इस अवधि के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय और उक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध 86 कॉलेजों में से 52 के कुल 2469 कर्मचारियों ने पेंशन योजना में बदलने के विकल्प का लाभ उठाया था। इन 2469 कर्मचारियों में से 1368 सेवानिवृत्त हो चुके थे और अब यू. जी. सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए धन में से दिल्ली विश्वविद्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

(v) वर्तमान याचिकाकर्ता और जो इस न्यायालय द्वारा सुनी गई याचिकाओं के अन्य दो समूहों का हिस्सा हैं, इस प्रकार, कुल संख्या का एक छोटा प्रतिशत था जिन कर्मचारियों को 30.09.1987 की कट-ऑफ तिथि के बाद स्विच करने की अनुमति दी गई है, उन्हें पार कर दिया गया था। .....

***

***

***

11.1 यह पूछे जाने पर कि पहले से ही पेंशन देयता के संबंध में भारत सरकार की क्या स्थिति होगी

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 2469 कर्मचारियों की तुलना में श्री बजाज ने कहा कि इस संबंध में दायित्व का जन्म और समायोजन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 'अस्वीकृत व्यय' के तहत किया जाना चाहिए।

11.2 मैं इस स्तर पर ध्यान दे सकता हूं कि एक समान प्रश्न पूछा गया था

यू. जी. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अमितेश कुमार ने इस मुद्दे पर समान रुख अपनाया। श्री बजाज, इस प्रकार, भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पृष्ठ 56 पर पैराग्राफ 8 में की गई टिप्पणियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बिंदु बनाया। बनाम। एस. एल. वर्मा और अन्य। , (2006) 12 एस. सी. सी. 53 ने अपने इस रुख के समर्थन में कहा कि भारत सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन की तारीख बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय का वित्तीय बोझ उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में रिलायंस को भारत संघ बनाम यू. जी. सी. वर्ग 1 अधिकारी संघ और अन्य के मामले में इस अदालत की खंड पीठ के फैसले पर भी रखा गया था। , (2006) 87 डी. आर. जे 783 "। टी. वाई. ऑफ दिल्ली बनाम

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं का प्रभाव

सायन को निम्नानुसार माना गया थाः

" 15. यह मुझे अगले तर्क पर ले आएगा।

याचिकाकर्ताओं को परिपत्र दिनांक 09.02.1989 और अधिसूचना दिनांक 11.02.1998 में निर्धारित तरीके से। यह तर्क, मेरी राय में, एक बार फिर निम्नलिखित के लिए गलत है। कारणः

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद

((i)

कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यू. जी. सी. की उचित मंजूरी के बिना कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता था

या जीओआई, पूरा तर्क, एक अर्थ में, एक गैर है

शुरू किया।

दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष सकारात्मक रखा है

((ख)

सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखने के विकल्प

ओ. एम. दिनांक 01.05.1987, जैसा कि द्वारा अपनाया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय, अब उक्त से वापस नहीं ले सकता है

स्थिति.

विश्वविद्यालय के परिपत्र का उद्देश्य एक और देना था दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों को अवसर

या इससे संबद्ध कॉलेज, जो प्राप्त कर रहे थे

यू. जी. सी. से रखरखाव अनुदान

पेंशन योजना "। परिपत्र की ओर निर्देशित नहीं किया गया था

वे कर्मचारी, जिन्होंने सचेत रूप से रहने का विकल्प चुना था

सी. पी. एफ. योजना दूसरे शब्दों में, वापस आने की स्थिति नहीं है

उक्त परिपत्र में विचार किया गया था। ..... " याचिकाकर्ताओं ने सचेत रूप से विकल्प का प्रयोग किया है

सी. पी. एफ. के अधीन रहें, प्रार्थना करें कि उन्हें अवसर दिया जाए

स्विचओवर स्वीकार नहीं किया गया था और याचिकाएं थीं बर्खास्त कर दिया।

2469 कर्मचारियों का मामला जिन्हें मौका दिया गया था

कट-ऑफ के बाद होवर को निम्नानुसार निपटाया गया थाः

" 17. निष्कर्ष निकालने से पहले मुझे केवल यह स्पष्ट करना होगा कि तर्क

याचिकाकर्ताओं में से कि 2469 कर्मचारियों को [2022] 7 एस. सी. आर. की अनुमति दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. एफ. योजना के तहत जारी रखने का विकल्प दिए जाने के बाद भी, और इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं के इस समूह के खिलाफ भेदभाव किया था, एक

तर्क, जिसे कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसा ही।

सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों द्वारा यह तय किया गया कि अवैधता में कोई समानता नहीं है (एम. के. सरकार का मामला, पृष्ठ 69 पर पैराग्राफ 25 देखें)। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने द्वारा अपनाए गए ओ. एम. दिनांक 1 के प्रावधानों के विपरीत अपने कुछ कर्मचारियों को पेंशन योजना में बदलने की गलत अनुमति दी है, तो यह याचिकाकर्ताओं को राहत देने का आधार नहीं हो सकता है। चूंकि उन 2469 कर्मचारियों का मामला मेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझे उन पर निष्कर्ष वापस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यू. जी. सी. के वकील ने संकेत दिया है और भारत संघ, उक्त 2469 कर्मचारियों के कारण होने वाले व्यय, यदि कोई हो, को केवल 'अस्वीकृत व्यय' शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और इसलिए, उस ओर से वित्तीय बोझ यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल विश्वविद्यालय पर ही होगा।

दिल्ली से "।

मामलों के तीनों जत्थों में इन फैसलों के खिलाफ अपील की गई थी

y डिवीजन बेंच के समक्ष विश्वविद्यालय, जिसके साथ निपटा गया

ये बैच निम्नानुसार हैंः 0 आर. एन. विरमानी मामलों का समूहः

" 17. इस अदालत की राय है कि प्रस्तुतियाँ विश्वविद्यालय, अपीलार्थी ने, विरमानी के आदेश के संबंध में,

कोई बल नहीं। कोई इनकार नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता है-कि

01.05.1987 द्वारा परिकल्पित योजना की प्रकृति

अधिसूचना यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि केवल सी. पी. एफ. योजना में बने रहने के इच्छुक लोगों को ही ऐसा करने का विकल्प चुनना था। उस संबंध में चूक का मतलब था कि कर्मचारी अपने विकल्प (सी. पी. एफ. में बने रहने के लिए) को नहीं भर रहा था, यह माना जाता था कि वह "आया" था या पेंशन योजना में चला गया था। विश्वविद्यालय और आधिकारिक उत्तरदाताओं (यू. जी. सी., केंद्र सरकार आदि) ने आग्रह किया था कि विरमानी समूह के याचिकाकर्ताओं ने सी. पी. एफ. लाभों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मध्यावधि के दौरान अपने मासिक वेतन से कटौती की अनुमति दी थी और पेंशन योजना के लाभों की अनुमति देना उचित नहीं होगा; उसी सांस में यह आग्रह किया गया था कि देरी हुई थी। इस अदालत की राय है कि विश्वविद्यालय और प्रतिवादी विरोधाभासी दलीलों पर भरोसा कर रहे हैं।

यदि वे दिल्ली का राज्य बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

आग्रह करें कि 1987 के परिपत्र की सही व्याख्या का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो सी. पी. एफ. योजना में बने रहने का विकल्प नहीं देता है

माना जाता है कि उन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है (जैसा कि विरमानी समूह ने निस्संदेह किया था) ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे ऐसा कर सकें।

लाचेस या एस्टोपेल के आधार पर सफल होते हैं। अगर सादा है मई 1987 की भाषा का व्याकरणिक अर्थ ओम

जिन्हें दिया जाना था, वे सभी जो विकल्प नहीं चुनते हैं, वे स्वतः ही पेंशन योजना में शामिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति होने के कारण, यह तर्क कि विरमानी में याचिकाकर्ताओं ने कटौती की अनुमति दी

उनके वेतन से सी. पी. एफ. राशि, उनके खिलाफ तर्क नहीं दिया जा सकता है। सी. पी. एफ. योजनाओं में आम तौर पर कर्मचारियों को अधिक प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है।

मासिक आधार पर जी. पी. एफ. योजना की तुलना में राशि। यह कि इन कर्मचारियों के सदस्यों ने अधिक राशि की अनुमति दी थी, जो एक योजना (और जिसने ब्याज अर्जित किया था) के तहत रखी गई थी, जिसका लाभ अर्जित नहीं हुआ था और सेवानिवृत्ति की तारीख तक उन्हें उपलब्ध नहीं था, उनके खिलाफ आग्रह नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, कमियों का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अधिक से अधिक, पेंशन की अनुमति पूरी अवधि के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन के मामलों में (भारत संघ और अन्य देखें। वी. तारसेम सिंह (2008) 8 एस. सी. सी. 648) कार्रवाई का एक निरंतर कारण है। इसलिए, हम विरमानी के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

इस प्रकार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

एन. सी. बख्शी मामलों का समूहः

" 20. इस न्यायालय की राय है कि प्रत्यर्थियों की याचिकाओं को अनुमति देने में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण या तर्क के साथ कोई कमजोरी नहीं पाई जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने शिक्षण कर्मचारियों की इस श्रेणी में एक तथ्यात्मक विश्लेषण किया। इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया चार्ट, और इस बैच में निर्णय के पैरा 3.1 में निकाला गया (एन. सी. बख्शी बनाम भारत संघ डब्ल्यू. पी.)

5310/2010) यह दर्शाता है कि सभी कर्मचारियों ने कट-ऑफ तिथि के बाद सी. पी. एफ. लाभों का विकल्प चुना। इसी के कारण और यू. जी. सी. और विश्वविद्यालय के व्यक्त किए गए रुख के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि तथाकथित के बावजूद दिए गए विस्तार के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला विकल्प, रिट याचिकाकर्ताओं को पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था

योजना क्योंकि उन्हें 01.05.1987 के OM द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से इसका विकल्प चुना गया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, [2022] एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अपीलकर्ता यह आग्रह नहीं कर सकते थे कि याचिकाकर्ताओं/शिक्षण कर्मचारियों के इन वर्ग को पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाना चाहिए था। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय में कोई कमजोरी नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय की अपीलें योग्य हैं -

असफल "।

इस प्रकार मामलों के इस समूह में किसी भी अपील को खारिज नहीं किया गया।

ओ शशि किरण मामलों का समूहः

इस बैच के मामलों में दूसरे के मुकाबले अंतर

एटचेस को इस प्रकार नोट किया गया थाः

" 21. अंतिम श्रेणी शशि किरण बैच है। यहां, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, जिन्होंने रिट याचिकाकर्ताओं का गठन किया था, ने जानबूझकर सी. पी. एफ. लाभों का विकल्प चुना था। उनकी शिकायत भेदभावपूर्ण बहिष्कार की थी। वे अदालत गए थे, यह तर्क देते हुए कि जब उन्होंने विकल्प मांगे, तो उत्तरदाताओं ने इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पिछले विस्तार समाप्त हो गए थे और बाद में, कि यू. जी. सी. और केंद्र सरकार

स्वीकृति देने से इनकार कर दिया।

" 23. शशि किरण के मामलों के समूह में अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई भेदभाव यह है कि भले ही की समय सीमा

30.09.1987 विश्वविद्यालय द्वारा पवित्र नहीं माना गया था (और

चूक के माध्यम से और इसलिए, यू. जी. सी. और केंद्र सरकार द्वारा मौन अनुमोदन) बड़ी संख्या में कर्मचारी जिन्होंने किसी भी तरह का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें 14 वर्षों में दिए गए विकल्पों के माध्यम से 12 वर्षों तक पेंशन योजना में जाने की अनुमति दी गई थी।

विभिन्न विस्तार। यह देखते हुए कि जमीनी वास्तविकताओं में भारी बदलाव आया था, सी. पी. एफ. योजना अव्यवहारिक थी और व्यवहार्यता खो चुकी थी; दूसरी ओर, पेंशन योजना अधिक फायदेमंद थी। इन अपीलार्थियों का तर्क है कि ऐसी स्थिति में, जब 2469 कर्मचारी सदस्यों ने इन विस्तारों के दौरान विभिन्न तिथियों पर पेंशन का विकल्प चुना, जब वे ऐसा करना चाहते थे,

उत्तरदाताओं ने अनुचित तरीके से लाभ लेने से इनकार कर दिया। 24. विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार में कुछ तर्क है क्योंकि विश्वविद्यालय ने उन लोगों के मामले में पेंशन योजना के लाभों को अस्वीकार कर दिया जिन्होंने इसे चुना थाः विरमानी के मामले में, डिफ़ॉल्ट रूप से (यानी कोई विकल्प नहीं, जिसका अर्थ माना गया विकल्प था) और अन्य मामलों में, सी. पी. एफ. के लिए विकल्प के कारण, निर्धारित तिथि के बाद दिया गया।

दिल्ली की आर. एस. टी. वी. एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

कट-ऑफ तिथि और दो, जिन्होंने कट-ऑफ तिथि का विकल्प चुना। बाद वालों को राहत दी गई है। यह पूर्व को राहत देने से इनकार करने का भी आधार है, जो इस समूह में अपीलार्थी हैं। 25. जैसा कि पहले देखा गया है, 2469 कर्मचारी अपने द्वारा किए गए विकल्प या विकल्प के कारण पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।

" 26. यदि इन तथ्यों को केंद्र के साथ लिया जाए आई. आई. टी. कानपुर, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य संस्थानों में कर्मचारियों और कर्मचारियों को अनुमति देने के लिए सरकार ने अपना रुख स्वीकार किया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने कर्मचारियों को बदलने के लिए विस्तारित तिथियों का विकल्प चुनेगी, यू. जी. सी. के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कि परिवर्तन की तारीख को 31.12.2003 तक बढ़ाया जाए,

केंद्र सरकार द्वारा मनमानेपन और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को प्रकट करता है।

27. कि केंद्र सरकार ने परिवर्तन की अनुमति दी देर से 31.12.2003 तक, यानी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले (बाद में कार्यरत सभी लोगों के लिए सी. पी. एफ. लाभ शुरू करना, सार्वभौमिक रूप से 01.01.2004 से प्रभावी)। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय

सरकार (और यू. जी. सी.) स्वीकार करती है कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने इसका विकल्प चुना

कटऑफ तिथि (और उनमें से कई ने पहले सी. पी. एफ. का विकल्प चुना है) को पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। जी. पी. एफ./पेंशन खाताधारकों की तुलना में सी. पी. एफ. खाताधारकों को मिलने वाले लाभों की प्रकृति के संबंध में जमीनी वास्तविकताएं एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी योजनाओं का चयन करते समय, कर्मचारी क्रिस्टल बॉल में नहीं देख सकते हैं, जैसा कि [2022] 7 एस. सी. आर.

यह था, और अनुमान लगाएं कि क्या मौजूदा स्थिति जारी रहेगी। जिस समय इन विकल्पों की तलाश की गई थी और यह देखते हुए कि सी. पी. एफ. का विकल्प चुनने वाले यथोचित रूप से निश्चित थे कि योगदान की प्रकृति और दर को ध्यान में रखते हुए

ब्याज, अंतिम पैकेज की तुलना सेवानिवृत्ति के चरण में अर्जित रिटर्न के संबंध में पेंशन उम्मीदवारों के साथ अनुकूल रूप से की जाएगी। दूसरे शब्दों में, जब विकल्प दिए गए थे, तो ये अपीलकर्ता नौकरी में थे; न तो वे, और न ही उस मामले के लिए उत्तरदाताओं में भारी गिरावट की कल्पना की जा सकती थी।

ब्याज दरें, जिसने सी. पी. एफ. विकल्प को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और इन अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध अंतिम एकमुश्त सी. पी. एफ. लाभ को कम कर दिया। यह जाँच करते हुए कि क्या अनुच्छेद 14 के आधार पर एक बार वैध और बरकरार रखा गया क़ानून बाद के विकास के कारण और समय बीतने के साथ ऐसा नहीं रह जाता है,

विभाग और अन्य। (1980) 1 एस. सी. आर. 368 मोटर जनरल व्यापारी और ए. एन. आर. आदि। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। आदि। 1984 (1) एस. सी. आर 594) श्री अदमार मठ आदि (ऊपर) के महामहिम श्री स्वामीजी में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" इस प्रस्ताव के समर्थन में एक मजबूत नींव रखी गई है कि जो कभी एक गैर-भेदभावपूर्ण कानून था

समय के साथ भेदभावपूर्ण हो सकता है और इस आधार पर एक सफल चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि इसने उल्लंघन किया है

संविधान का अनुच्छेद 14 "।

28. इस मामले में, स्पष्ट रूप से जब अपीलकर्ताओं ने सी. पी. एफ. लाभों का विकल्प चुना, तो उन्होंने भविष्य के विकास की पूर्व सूचना के बिना ऐसा किया। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि एक ही श्रेणी और पद पर एक ही वेतनमान वाले दो व्यक्तियों के बीच, जो पेंशन योजना का विकल्प चुनता है, वह पर्याप्त राशि और भविष्य में पेंशन में समायोजन का हकदार होता है। भत्ता बढ़ाया जाना था। तथापि, अपीलार्थियों के लिए, दिल्ली की आर. एस. आई. टी. बनाम।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसा कोई लाभ नहीं था; उन्होंने बाद के विकास के कारण एक सिकुड़ता हुआ पैकेज देखा-विशेष रूप से ब्याज दरों में गिरावट। अब, दर पर या वैसे भी, दरों के पास कहीं न कहीं ब्याज, जो योजना शुरू होने पर प्रचलित था, सी. पी. एफ. योजना के लिए महत्वपूर्ण आधारों में से एक था। ए के साथ

दरों में भारी बदलाव, जो सी. पी. एफ. का विकल्प चुन रहे थे

काफी स्पष्ट कार्यालय की विश्वविद्यालय की व्याख्या ज्ञापन (दिनांकित 01.05.1987) ने बहुत भ्रम पैदा किया। तीसरा कारण यह है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में भी 12

विस्तार दिया गया और पेंशन योजना के लिए बड़ी संख्या में विकल्प प्रस्तुत किए गए-दोनों के संबंध में

जिन्होंने पहले सी. पी. एफ. का विकल्प चुना और जिन्होंने नहीं चुना। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय का पिन करने का आग्रह

उन विकल्पों के लिए अपीलकर्ता जिनका उन्होंने मूल रूप से प्रयोग किया था भेदभावपूर्ण।

29. यह अदालत इस अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक होने का दूसरा कारण यह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही यू. जी. सी. ने एक भी कारण प्रस्तुत नहीं किया है कि पेंशन योजना में बदलने के विकल्प की अनुमति क्यों दी गई थी।

कई अन्य स्वायत्त संस्थान और इनकार कर दिया

याचिकाकर्ता। यह कहने की एकमात्र चूक ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ताओं को लाभ से वंचित करने के लिए मजबूर किया अदालत की राय में, अन्य संस्थानों में लोगों को अनुमति देते समय, स्पष्ट रूप से भेदभाव के बराबर है। द.

केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं जबकि अन्य कर्मचारी अन्य संस्थानों में काम करते हैं, पर्याप्त नहीं है, यह देखते हुए कि सुसंगत रुख यह है कि एक बार दिए गए विकल्पों को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि शशि के मामले में पेंशन योजना का विकल्प चुनने के अधिकार से इनकार करना किरण बैच अस्थिर है; इसके परिणामस्वरूप मनमानेपन आया है। 99

इस प्रकार मामलों के इस समूह में अपील की अनुमति दी गई।

विश्वविद्यालय ने डी के आर. एन. विरमानी बैच के फैसले को स्वीकार कर लिया क्योंकि किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई है। हालाँकि, यह उनके दो मामलों की अपील में है। इस स्तर पर, कुछ दस्तावेज उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्हें रखा गया था

एस, के लिए विज्ञापित किया जाना चाहिएः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

08.08.2001 पर, यू. जी. सी. द्वारा एक संचार संबोधित किया गया था।

संयुक्त सचिव, एमएचआरडी। पत्र का प्रासंगिक भाग

के रूप में:

.....विश्वविद्यालयों सहित कई स्वायत्त निकायों ने

इस परिपत्र की मूल नीति को अपनाया लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया

कट ऑफ तिथि तक सीमित और अपने स्वयं के कट ऑफ की अनुमति दी

अपने कर्मचारियों को सी. पी. कोष से जी. पी. में बदलने की तारीखें

1998 तक। हालांकि, यू. जी. सी. के तहत कुछ संस्थान जो उन्होंने बेहतर अनुशासन दिखाया है और यू. जी. सी. के कुछ कर्मचारी भी अब अपने कर्मचारियों को सी. पी. फंड से जी. पी. फंड में बदलने का मौका देने के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यू. जी. सी. में यह

संख्या केवल 5 या 6 है।

संबंधित मंत्रालयों ने भी संभवतः कोई आदेश जारी नहीं किया है।

स्वायत्तशासी के कर्मचारियों को इस लाभ की अनुमति देने वाला परिपत्र

उनके नियंत्रण में शरीर। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि

कोष का संबंध है। उदाहरण के लिए, आई. आई. टी. कानपुर ने अनुमति दी। 30.7.98 तक रूपांतरण और इसे शुल्क के लिए खुला रखा

निरंतर सेवा के पंद्रह साल बाद, यदि वे उस तारीख तक स्विच नहीं करते हैं। आई. आई. टी., कानपुर के परमाणु ऊर्जा दिनांकित पत्र की प्रति, सरकार। भारत सरकार ने अपने पत्र 2/1/99/एससीएस/665 के माध्यम से

दिनांकित 12.10.2000 ने भी विकल्प चुनने का एक और मौका दिया है

डी. ए. ई. के तकनीकी कर्मचारियों के मामले में उक्त परिवर्तन के लिए।

इसी तरह, सी. आई. एस. आर. ने अपने सभी उद्यमों को एक और विकल्प दिया है। कर्मचारियों को बदलने के लिए। उनका पत्र संख्या 17 (197)/90-ई. आई. आई. दिनांकित है।

25.1.99 संदर्भ के लिए संलग्न है।

यू. जी. सी. के कर्मचारियों और कर्मचारियों की मांग पर

विश्वविद्यालय, आयोग इसे आवश्यक समझता है

पेंशन योजना पहले से ही मौजूद है और केवल कुछ कर्मचारियों को सीपी फंड से जीपी फंड में बदलने के लिए छोड़ दिया गया है। छूट गए मामलों में योजना को बढ़ाने की लागत भी बहुत कम होगी ताकि इसे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ कहा जा सके। संस्थानों में रूपांतरण योजना का विस्तार बनाम दिल्ली की संस्था।

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

जहां पेंशन योजना पहले से मौजूद है, वह भी आवश्यक है क्योंकि सरकार ने संशोधित वेतनमान को इस शर्त पर बढ़ाया है कि ये संस्थान सभी नियमों और शर्तों में समानता बनाए रखेंगे कि ये संस्थान अपने कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों में समानता बनाए रखेंगे।

सरकार में संबंधित श्रेणी के कर्मचारी। भारत से।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस सुझाव पर विचार करें और स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों (या यू. जी. सी./केंद्रीय और मानद विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों) के लिए सी. पी. निधि से जी. पी. निधि योजना में परिवर्तन की योजनाओं का विस्तार करें, जिनके पास स्थापना के बाद से ही पेंशन योजना है, और कुछ स्पष्ट भविष्य की तारीखों को अधिसूचित करें, ताकि वे संस्थान अपनी स्वयं की कट ऑफ तिथि/तिथियां तय न करें और असमानता पैदा न करें।

उलझन "।

ख) एम. एच. आर. डी. का रुख एक संचार से स्पष्ट है, अर्थात् एम. एच. आर. डी. द्वारा यू. जी. सी. को संबोधित 24.10.2002 का पत्र जिसमें कहा गया हैः

" 2. चूँकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्त पोषण करने वाली एजेंसी है और इसने स्वयं सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यू. जी. सी. से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने वाले मानद विश्वविद्यालयों में परिवर्तन पर सरकारी नीति का विस्तार किया था, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों के मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोई विशिष्ट सरकारी निर्देश आवश्यक नहीं हैं जिन्हें निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ./पेंशन योजना में अनियमित परिवर्तन की अनुमति दी गई थी।

3. इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि इस मुद्दे को इस मंत्रालय को भेजे बिना अपनी ओर से निर्णय लें।

ग) उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय के तुरंत बाद,

विश्वविद्यालय द्वारा एम. एच. आर. डी. को 13.10.2016 पर एक संदेश भेजा गया था कि उक्त निर्णय के संदर्भ में लगभग 305 कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

घ) अवर सचिव द्वारा 23.1.2017 दिनांकित एक पत्र लिखा गया था।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को। पत्र के पैराग्राफ 2 में कहा गया हैः

" 2. अनुपालन के लिए मामले में निर्देश/टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके संबंध में जी. पी. एफ./सरकारी पेंशन की अनुमति देना।

((i)

वे कर्मचारी जो 01/01/1986 पर सेवा में थे, जब तक कि उन्होंने विशेष रूप से और लिखित रूप में सी. पी. एफ. के साथ रहने का विकल्प नहीं चुना हो। हालांकि, उन कर्मचारियों के संबंध में जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सी. पी. एफ. के विश्वविद्यालय के हिस्से के समर्पण का सवाल, जैसा कि उनके द्वारा पहले ही लिया जा चुका है, दिल्ली विश्वविद्यालय को यू. जी. सी./एम. एच. आर. डी. के परामर्श से निपटना होगा। दिल्ली

विश्वविद्यालय/संबंधित कॉलेज प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के सरल ब्याज के साथ सी. पी. एफ. योजना के तहत अपने योगदान की भरपाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार विकल्प की तलाश करते समय कर्मचारियों से इस बिंदु को होना होगा

एम. एच. आर. डी./यू. जी. सी./डीयू. द्वारा उचित रूप से देखभाल की गई और

संबंधित महाविद्यालय।

अन्य सभी मामलों में, दिल्ली विश्वविद्यालय को फाइल करने की सलाह दी जाती है

((ख)

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील

न्यायालय, यू. जी. सी./एम. एच. आर. डी. के परामर्श से।

(iii)

यदि कोई अन्य कर्मचारी जो सेवा में नहीं था आई. डी. 2 पर और उसके बाद शामिल होने पर, पेंशन विभाग के दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश के आवेदन का प्रश्न नहीं उठेगा और इस प्रकार यदि किसी विधि न्यायालय का कोई आदेश उनके मामलों में पेंशन की अनुमति देता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय को उचित रूप से उपयुक्त अपीलीय न्यायालय में उनके साथ परामर्श करके अपील दायर करनी पड़ सकती है।

यू. जी. सी और एम. एच. आर. डी.

3. विश्वविद्यालय इसके आलोक में उचित कार्रवाई कर सकता है

ऊपर और सरकार के हितों की रक्षा के लिए भी। मामले में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी अदालती मामलों में भारत सरकार।

29.03.2019 पर एमएचआरडी द्वारा सचिव, जीसी को एक पत्र लिखा गया था। पत्र का प्रासंगिक भाग थाः

" 2. दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे का निपटारा न करने का मामला।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 30.4.2014 पर इस आधार पर आदेश पारित किए जाने के बाद कि यू. जी. सी. के वकील ने

अदालत में उल्लेख किया गया है कि पेंशन पर खर्च था गैर-अनुमोदित जबकि वे जो 30.4.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे

विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन की अनुमति।

दिल्ली की आर. एस. टी. वी. एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

3. तब से इस मामले की जांच डी/ओ व्यय के परामर्श से की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि क्या इस मामले में डीयू द्वारा कर्मचारियों के एक समूह को पेंशन की अनुमति दी गई थी, जिसमें से

कुछ को पहले ही सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की अनुमति दी जा चुकी है।

उनके सी. पी. एफ. संचय को लगभग पुनर्प्राप्त करना नियोक्ता का योगदान, तो इस मामले में कर्मचारियों को पेंशन की अनुमति दी जा सकती है, अगर वे उसी समूह से संबंधित हैं जो

डीयू द्वारा सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने की अनुमति दी गई थी और जहां कुछ कर्मचारी पहले से ही लाभ उठा रहे हैं।

पेंशन और यदि सी. पी. एफ. में नियोक्ता का योगदान किया गया है

उनके मामले में वसूल किया गया, बशर्ते कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले से किसी भी तरह से संबंधित न हों

24.8.2016 "पर।

इसके तुरंत बाद यू. जी. सी. द्वारा एक संदेश भेजा गया।

विश्वविद्यालय, विषय हैः -

" कर्मचारियों के संबंध में पेंशन लाभ जारी करना-जो 1989 से 1998 तक पेंशन योजना का विकल्प चुना है और सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद-संबंधित।

पत्र का प्रासंगिक हिस्सा थाः

ने सूचित किया है कि तब से मामले की जांच की गई है डी/ओ व्यय के साथ परामर्श और यह निर्णय लिया गया है कि यदि इस मामले में डीयू द्वारा कर्मचारियों के एक समूह को पेंशन की अनुमति दी गई थी, जिसमें से कुछ को पहले ही पेंशन की अनुमति दी जा चुकी है

अपने सी. पी. एफ. संचय की वसूली के बाद सेवानिवृत्त हुए नियोक्ता के योगदान के लगभग, तो इस मामले में कर्मचारियों को पेंशन की अनुमति दी जा सकती है, अगर वे उसी से संबंधित हैं

समूह जिसे सी. पी. एफ. से जी. पी. एफ. में बदलने की अनुमति दी गई थी

डीयू और जहां कुछ कर्मचारी पहले से ही लाभ उठा रहे हैं

स्वयं पेंशन और यदि सी. पी. एफ. में नियोक्ता का योगदान उनके मामले में बरामद किया गया है, बशर्ते कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले से किसी भी तरह से संबंधित न हों।

24.8.2016 "पर अदालत।

02.03.2019 पर, भारत सरकार के अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, विभाग द्वारा एक संचार को संबोधित किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत और अन्य बीमा निगमों का सार्वजनिक क्षेत्र में निगमन। पत्र का विषय थाः

" सार्वजनिक क्षेत्र के बचे हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का अंतिम विकल्प

बीमा कंपनियां (पी. एस. आई. सी.) अर्थात् जीवन बीमा भारतीय निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम,

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेडः रेग "।

उन्होंने संचार में कहाः

" सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पी. एस. आई. सी.) के बचे हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए अंतिम विकल्प देने का मुद्दा केंद्र सरकार के साथ विचाराधीन था। अब यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग 28.06.1995 पर या उससे पहले सेवा में शामिल हुए थे, उन्हें पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अंतिम विकल्प दिया जाएगा।

सेवानिवृत्ति लाभ।

2. पी. एस. आई. सी. से अनुरोध है कि वे इस विभाग को एक

अनुमोदन और अधिसूचना के लिए विस्तृत योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मापदंडों को शामिल करती हैः (i) पेंशन का विकल्प चुनने वाले सेवारत कर्मचारियों के मामले में, नियोक्ता का योगदान ब्याज के साथ पेंशन कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, वे वेतन के एक निश्चित गुणक का भी योगदान करेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में किया गया था; सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृतक के परिवारों के लिए

((ख)

कर्मचारी नियोक्ता के एक निश्चित गुणज

भविष्य निधि में योगदान और कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ब्याज रिफंड किया गया, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में किया गया था

बैंक।

(iii) जो लोग अब पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना की अधिसूचना की तारीख से देय होगी। हालांकि, उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी संबंधित तिथि के संदर्भ में पेंशन के लिए पात्र होंगे।

सेवानिवृत्ति "। दिल्ली की शाखा बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]9. ऊपर दिए गए दस्तावेजों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने वाले पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, न्यायालय ने दिनांक 02.03.2020 का आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया थाः

" हालाँकि उनकी प्रस्तुतियाँ समाप्त हो गई हैं, लेकिन विद्वान वकील द्वारा विभिन्न विषयों पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के बाद कुछ संदेह पैदा हुए हैं।

अभिलेख पर दस्तावेज। उन दस्तावेजों में से कुछ हैं (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में "यू. जी. सी".) से संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संक्षेप में "एम. एच. आर. डी".) को दिनांकित (आई. डी. 1) पत्र, जो सुविधा खंड के पृष्ठों (आई. डी. 2) पर रिकॉर्ड में रखा गया है, (ii) दिनांकित प्रतिक्रिया।

24.10.2002 सुविधा खंड के पृष्ठ 48 पर संलग्न, एम. एच. आर. डी. से उपरोक्त पत्र दिनांक 8.8.2001; (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सचिव को दिनांकित 13.10.2016 पत्र,

उच्च शिक्षा विभाग, एम. एच. आर. डी. ने सुविधा खंड के पृष्ठ 58 पर संलग्न किया है) और (iv) सुविधा खंड के पृष्ठ 63 पर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) का दिनांकित 2.3.2019 पत्र, जहां तक कुछ संस्थानों का संबंध है, जैसे -

एल. आई. सी. और अन्य बीमा कंपनियाँ चिंतित हैं।

इस मामले में उत्पन्न होने वाले बुनियादी मुद्दों में से एक यह है कि क्या ओ. एम. दिनांक 1.5.1987 के पैरा 3 के संदर्भ में क्या यह संबंधित संस्थानों/अधिकारियों के लिए अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम था।

जिसके भीतर संबंधित द्वारा विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है

इसी आधार पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पैराग्राफ 26 और 27 में कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें केंद्र सरकार का रुख भी शामिल है जो कई तथ्यों को अनुमति देने के लिए गठित की गई थी। आई. आई. टी. कानपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य संस्थानों के सदस्य और कर्मचारी तारीखों को बढ़ाकर विकल्प देंगे।

31.12.2003 तक स्विच करने के लिए।

ये सभी संचार केंद्र सरकार पर कोई सुसंगत रुख नहीं बताते हैं। हालांकि केंद्र सरकार और यू. जी. सी. वर्तमान सूची में पक्षकार हैं, लेकिन कोई रुख नहीं अपनाया गया है

किसी भी उपयुक्त शपथ पत्र को दाखिल करके रिकॉर्ड पर।

इन परिस्थितियों में, हम केंद्र सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के साथ-साथ यू. जी. सी. से आज से सात दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने और पूरा विवरण देते हुए अपना रुख रिकॉर्ड पर रखने का आह्वान करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय को भी निम्नलिखित रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा जाता हैः

शपथ पत्र के माध्यम से जानकारीः

(a) कितने कर्मचारी जो 01.01.1986 से पहले कार्यरत थे,

(ख) 30.09.1987 के बाद कितने कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. योजना का हिस्सा बनने के विकल्प का उपयोग किया, लेकिन पहले दो विस्तारों के भीतर अनुमति दी गई दिल्ली विश्वविद्यालय से।

(ग) कितने कर्मचारी जिन्होंने सी. पी. एफ. का हिस्सा बनने का विकल्प चुना था,

उन्हें दिए गए विपरीत विकल्प का प्रयोग किया और होने का विकल्प चुना

जी. पी. एफ. के तहत।

(घ) कितने रिट याचिकाकर्ता समान लाभ चाहते थे और

कर्मचारियों को दी गई कुछ सुविधाओं का विस्तार

(ङ) वर्तमान में कितने कर्मचारी सेवा में हैं जो जवाब देते हैं विवरण दें कि वे 1.1.1986 से पहले के कर्मचारी हैं और अभी भी सी. पी. एफ. योजना का हिस्सा हैं।

आदेश के पूर्व भाग में निर्दिष्ट संचार की प्रतियां भी इस आदेश की एक प्रति के साथ दी जाएंगी।

केंद्र सरकार और यू. जी. सी. "

9.1 दिनांकित आदेश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में

. 2020 , विश्वविद्यालय के आधे हिस्से में दायर हलफनामे के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी।

" 3.कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, याचिकाकर्ता निम्नलिखित मदबद्ध प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा है।

(क) कितने कर्मचारी जो पहले कार्यरत थे

01.01.1986 , सी. पी. एफ. योजना के अंतर्गत आने का विकल्प चुना था

लगभग 2611, जो 01.01.1986 से पहले कार्यरत थे, उन्होंने 30.09.1987 द्वारा सी. पी. एफ. योजना का विकल्प चुना था। कितने कर्मचारियों ने इसका हिस्सा बनने के विकल्प का प्रयोग किया

(ख)

सी. पी. एफ. योजना 30.09.1987 के बाद लेकिन पहले दो के भीतर

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त विस्तार।

टी. वाई. ऑफ दिल्ली बनाम एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

जवाबः

कि लगभग 626 कर्मचारियों ने 30.09.1987 के बाद सी. पी. एफ. योजना का हिस्सा बनने के विकल्प का प्रयोग किया, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुमत प्रारंभिक दो विस्तारों के भीतर।

सी. पी. एफ. का हिस्सा बनने का विकल्प चुनने वाले कितने कर्मचारियों ने उन्हें दिए गए रिवर्स विकल्प का उपयोग किया और चुना

जी. पी. एफ. के अंतर्गत होना।

जवाबः

सी. पी. एफ. में बने रहने का विकल्प चुनने वाले लगभग 2469 कर्मचारियों ने उन्हें दिए गए विपरीत विकल्प का प्रयोग किया।

और जी. पी. एफ. में आने का फैसला किया।

कितने रिट याचिकाकर्ता समान लाभ चाहते थे और

समान सुविधाओं का विस्तार जो उन्हें प्रदान की गई थी

ऊपर पैरा (सी) में संदर्भित कर्मचारी। जवाबः

श्रेणी-1 अर्थात एन. सी. बख्शी बैच के तहत, 172 कर्मचारी विस्तार का समान लाभ चाहते थे जैसा कि उपरोक्त पैरा-सी में संदर्भित कर्मचारियों को दिया गया था, जबकि श्रेणी-2 यानी शशि किरण बैच के तहत आने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या 75 है।

वर्तमान में कितने कर्मचारी सेवा में हैं जो

विवरण का जवाब दें कि वे कर्मचारी हैं

1.1.1986 से पहले और अभी भी सी. पी. एफ. योजना का हिस्सा हैं। जवाबः

51 श्रेणी-1 अर्थात एन. सी. बख्शी से संबंधित उत्तरदाता

बैच और 86 उत्तरदाताओं को श्रेणी-2 यानी शशि किरण बैच के तहत 01.01.1986 से पहले नियुक्त किया गया था।

सेवा और वे अभी भी सी. पी. एफ. योजना का हिस्सा हैं।

भारत संघ की ओर से दायर हलफनामा, प्रश्न संख्या का उत्तर मंत्रालय। 4 निम्नलिखित रूप में दिया गया थाःपेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ओ. एम. दिनांकित। 1987 यह प्रावधान है कि सभी सी. पी. एफ. लाभार्थी, जो सेवा में 1.1986 थे और जो आदेश जारी होने की तारीख को अभी भी सेवा में हैं, उन्हें पेंशन [2022] 7 एस. सी. आर. में आया माना जाएगा।

योजना। ये आदेश सभी नागरिक केंद्र सरकार पर लागू होते हैं।

ऐसे कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के तहत अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता ले रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग ने ओ. एम. दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति दी है।

" 4. शुरुआत में, यह सूचित किया जाता है कि यदि यह माननीय न्यायालय दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत संघ के खिलाफ अपील का फैसला करता है, तो इसके वित्तीय निहितार्थ का एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह पूरे भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, जिससे बाढ़ आ जाएगी। मुकदमे का द्वार "।

10. इसके बाद मामले पर व्यापक रूप से बहस की गई

विविधता। यह प्रस्तुत किया गया थाः

सी. पी. एफ. और जी. पी. एफ. के बीच का अंतर हमेशा था

अ)

अस्तित्व और जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य 3 में अभिनिर्धारित किया गया है,

भविष्य निधि और उसके योगदान को नियंत्रित करने वाले नियम पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों से पूरी तरह से अलग होंगे।

योजना।

ख)

दिनांकित 01.05.1987 अधिसूचना के तहत, विकल्प था

पूरी तरह से कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया और यह पूरी तरह से वैकल्पिक था। वित्तीय निर्णयों से जुड़ी एक वैकल्पिक योजना नहीं हो सकी।

एक अनिवार्य योजना में परिवर्तित किया जाए।

(ग)

ऊर्जा और बीमा कंपनियों की अनुमति नहीं थी क्योंकि विश्वविद्यालय और इन संगठनों के कर्मचारियों ने एक सजातीय वर्ग नहीं बनाया था। उनके सेवा के नियम और शर्तें, वित्तपोषण पैटर्न और वित्तपोषण विभाग थे पूरी
तरह से अलग।

11. विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता और अन्य विद्वान परामर्शदाताओं की संख्या

उत्तरदाताओं की ओर से लाल-कर्मचारी और प्रस्तुत किए गए: -

0) 4 एस. सी. सी. 207 दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

हालाँकि, अधिसूचना दिनांक 01.05.1987 जानकारी के लिए थी

अ)

सभी के लिए, बाद के विस्तार और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए परिवर्तन के अवसरों को नहीं लाया गया था

सभी कर्मचारियों और उत्तरदाताओं का ज्ञान

इस प्रकार वे पूर्वाग्रही थे।

ख)

यदि अधिसूचना दिनांक 01.05.1987 के तहत आदेश था

ईमानदारी से पालन करने के लिए, विश्वविद्यालय बदलाव के बाद के विकल्प को मंजूरी नहीं दे सकता था। लेकिन 2469

कट-ऑफ डेट के बाद कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में आने की अनुमति दी गई। न्यायालय के समक्ष रखे गए विभिन्न संचारों के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को जी. पी. एफ. के तहत पूर्ण लाभ की अनुमति दी गई थी। वर्तमान उत्तरदाताओं का मामला-कर्मचारी

यह किसी भी तरह से ऐसे 2469 कर्मचारियों से अलग नहीं था।

विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते, इसके कर्मचारी

(ग)

यह आई. आई. टी. और ए. आई. आई. एम. एस. जैसे संगठनों के समान स्तर पर होगा। यदि विस्तार दिए गए थे

आई. आई. टी. के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी इसी तरह के लाभ के हकदार थे।

इसलिए डिवीजन बेंच को दरकिनार करना उचित था।

(घ)

शशि किरण बैच के मामलों में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण लेकिन पुष्टि करते हुए अन्य दो बैचों में देखें।

12. मामलों के तीन बैचों से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसलों के माध्यम से जो आम धागा चला, वह यह था कि दिनांकित अधिसूचना का पाठ स्पष्ट था कि यदि संबंधित कर्मचारियों द्वारा कट-ऑफ तिथि से

पहले कोई विकल्प नहीं अपनाया गया था, तो उन्हें जी. पी. एफ. के पास 'आया' माना जाएगा। यह केवल एक सकारात्मक था

सी. पी. एफ. के अंतर्गत बने रहने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विकल्प जो इस तरह के प्रावधान से अलग हो सकता था। एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प अंतिम था और इस तरह, उनमें से कोई बदलाव नहीं हो सकता था।

जिन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के अधीन रहने का विकल्प चुना था। इसके अलावा, एस. एल. वर्मा के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि विकल्प का कोई भी अभ्यास

समय सीमा के बाद या कट-ऑफ अप्रासंगिक होगा। इसी आधार पर आर. एन. विरमानी बैच के मामलों और एन. के. बख्शी बैच के मामलों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी।

शशि किरण बैच के मामलों के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि एक बार सचेत निर्णय लिया गया और विकल्प था [2022] 7 एस. सी. आर.

सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के लिए अभ्यास किया गया, "किसी के लिए कोई जगह नहीं थी

स्थिति में वापस आ जाओ। " इसलिए तीसरे जत्थे के मामलों को खारिज कर दिया गया।

13. हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि 2469 कर्मचारी जिन्हें कटौती के बाद इस तरह के बदलाव की सुविधा दी गई थी

तारीख, हालांकि उन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प भी चुना था, वे अदालत के समक्ष नहीं थे, और इस तरह, उनके मामलों को अछूता छोड़ना पड़ा। यह रिकॉर्ड की बात है और इसके ऊपर अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट संचार से कौन सा पहलू स्पष्ट है कि उन 2469 कर्मचारियों में से अधिकांश को, सेवानिवृत्ति के समय, वे सभी लाभ दिए गए थे जो उन लोगों के लिए उपलब्ध थे जिन्होंने जी. पी. एफ. के तहत होने का विकल्प चुना था। इस प्रकार, उन 2649 कर्मचारियों को निश्चित रूप से स्थानांतरण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी जो मामलों के तीसरे समूह में कर्मचारियों के पक्ष में नहीं दी गई थी।
14. मामलों के पहले दो जत्थों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार को केवल मामलों के तीसरे जत्थे यानी शशि किरण जत्थे के मामलों में ही दरकिनार कर दिया। जैसा कि खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से संकेत मिलता है, मामले को भेदभाव और समानता के सिद्धांतों के आधार पर रखा गया था।

15. 01.05.1987 की अधिसूचना के अनुसार दो स्थितियों पर विचार किया गया था। सबसे पहले, ऐसा प्रावधान जिसके संदर्भ में -

संबंधित कर्मचारी को जी. पी. एफ. के पास ले जाया गया। दूसरी स्थिति यह थी कि सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के लिए कटौती की तारीख से पहले एक सचेत विकल्प का प्रयोग किया गया था। इसलिए आर. एन. विरमानी बैच के मामलों को विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी, क्योंकि कट-ऑफ तिथि तक किसी भी सचेत विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था। नतीजतन, संबंधित कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में 'आया' माना जाना चाहिए। तार्किक रूप से, यह मायने नहीं रखता कि क्या संबंधित कर्मचारी ने खुद को सी. पी. एफ. के तहत शामिल मानते हुए योगदान करना जारी रखा, भले ही योगदान संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए थे। इसलिए कर्मचारियों के पक्ष में लाभ उचित रूप से प्रदान किया गया और पूरे योगदान को वापस करने का निर्देश दिया गया। विश्वविद्यालय ने उस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है और इस प्रकार मामला अंतिम रूप ले चुका है।

सैद्धांतिक रूप से, उसी सिद्धांत का विस्तार यह होगा कि यदि कट-ऑफ तिथि से पहले किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के बाद एक विकल्प का प्रयोग किया गया था; और यदि कट-ऑफ तिथि के बाद किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय v.

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

और एन. सी. बख्शी बैच के मामलों में डिवीजन बेंच भी थी काफी सही है। नतीजतन, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग किया था, इस तरह के विकल्प का प्रयोग कानून की नजर में गैर-कानूनी होगा। यह वास्तव में एस. एल. वर्मा के मामले में निर्णय का अनुपात है। इस प्रकार, मामलों के इन दोनों बैचों का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा सही ढंग से किया गया था। इसलिए हम एन. सी. बख्शी बैच के मामलों में अपील को खारिज करते हैं।

16. अब हम मामलों के शशि किरण बैच की ओर मुड़ते हैं।

17. जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 02.03.2020 के आदेश के पारित होने के बाद दायर अपने हलफनामे में संकेत दिया गया था, 2611 कर्मचारियों ने कट-ऑफ तिथि यानी 30.09.1987 तक सी. पी. एफ. योजना के तहत होने का विकल्प चुना था। इसके अतिरिक्त, 626 कर्मचारियों ने मूल कटौती के बाद सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का प्रयोग किया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए शुरुआती दो विस्तारों के भीतर। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पूरे निकाय के मुकाबले, 3237 (2611 + 626) कर्मचारियों ने सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का प्रयोग किया था। इन 3237 कर्मचारियों में से, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आगे के विस्तार के आधार पर, लगभग 2469 कर्मचारियों ने रिवर्स विकल्प का उपयोग किया और जी. पी. एफ. में "आने" का विकल्प चुना, जिससे केवल 768 (3237-2469) कर्मचारी सी. पी. एफ. के तहत रह गए। विश्वविद्यालय द्वारा अपने शपथ पत्र में दिए गए प्रश्नों 'डी' और 'ई' के उत्तर से पता चलता है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है।

सी. पी. एफ. योजना 86 थी जबकि शशि किरण बैच के याचिकाकर्ता थे

75. इस प्रकार, हम शशि किरण बैच के मामलों में 75 मूल याचिकाकर्ताओं के बारे में चिंतित हैं।

18. कृष्ण कुमार में, भविष्य निधि योजना और पेंशन योजना के बीच के अंतर पर विचार किया गया था इस न्यायालय की संविधान पीठ। उस मामले में, जिन कर्मचारियों ने

01.04.1957 पर या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना द्वारा स्वचालित रूप से कवर किया जाना था और जहां तक वे कर्मचारी जो पहले से ही 01.04.1957 पर सेवा में थे, उन्हें भविष्य निधि लाभों को बनाए रखने या पेंशन लाभों पर स्विच करने का विकल्प दिया गया था। इसके बाद लगभग 12 कार्यकाल विस्तार दिए गए ताकि कर्मचारियों द्वारा विस्तारित समय के भीतर विकल्पों का उपयोग किया जा सके। जिन लोगों ने इस तरह के विकल्प का उपयोग नहीं करने का विकल्प चुना था, वे इस न्यायालय के समक्ष थे। योजना की मूल प्रकृति पर निर्णय के पैराग्राफ 7 में निम्नानुसार चर्चा की गई थीः

" 7. अब हम इन विकल्पों की जांच कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड का पत्र सं। एफ (ई) 50-आर. टी. आई./6 दिनांक 16 नवंबर, 1957 ने रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस तारीख और आदेश जारी करने की तारीख के बीच। पैरा (बी) में निर्दिष्ट रेलवे कर्मचारियों को 31 मार्च, 1958 को या उससे पहले निर्धारित प्रपत्र पर बिना शर्त और स्पष्ट विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो राज्य रेलवे भविष्य निधि नियमों के तहत पेंशन लाभों के लिए या अपने मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों को बनाए रखने के लिए चुने गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिससे कर्मचारी के विकल्प के लिए निर्धारित विकल्प फॉर्म उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ था या जिसका विकल्प था - अपूर्ण या सशर्त या अस्पष्ट समझा जाएगा कि उसने पेंशन लाभों का विकल्प चुना है और यदि ऐसे किसी कर्मचारी की उस तारीख तक या 1 अप्रैल, 1957 को या उसके बाद पेंशन योजना के विकल्प का उपयोग किए बिना मृत्यु हो गई थी, तो उसके बकाया का भुगतान भविष्य निधि प्रणाली पर किया जाएगा। इस विकल्प की वैधता की अवधि पहले 30 जून, 1958,31 दिसंबर, 1958,31 मार्च, 1959 और अंत में 30 सितंबर, 1959 तक बढ़ाई गई थी। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, उनके पास दोनों में से चुनने का पर्याप्त अवसर था।

याचिकाकर्ताओं द्वारा रिलायंस को डी. एस. नकारा बनाम मामले में इस अदालत के समक्ष रखा गया था। भारत संघ। कृष्ण कुमार 3 में अनुच्छेद 16,29 और 30 ई के निर्णय में इस मुद्दे को निम्नानुसार निपटाया गया हैः

" 16. नाकाराओ अनुपात पर अनुच्छेद 3.1 को हटाने या पढ़ने के आधार या औचित्य के रूप में, यह आग्रह किया जाता है कि सेवा में कार्यरत लगभग 22 लाख रेलवे कर्मचारी और लगभग 6 लाख पेंशनभोगी एक परिवार का गठन करें और उन्हें एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि पेंशन योजना और भविष्य निधि योजना दोनों के तहत सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की देखभाल करने के लिए सरकार का दायित्व समान है, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कोई भी भिन्न उपचार होगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी। नाका केस में मनमाने ढंग से चुनी गई तारीख को रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप पेंशन की गणना के लिए संशोधित सूत्र था

3) 1 एस. सी. सी. 305 दिल्ली की शाखा बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों पर लागू किया गया। आग्रह किया जाता है कि यही सिद्धांत भविष्य निधि से सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए

अन्यथा भेदभाव होगा। यह कहा गया है कि हालांकि भविष्य निधि और पेंशन के बीच चयन करते समय

योजना दोनों विकल्प कमोबेश बराबर प्रतीत हुए और सेवानिवृत्त भविष्य निधि प्रदाताओं ने अभी तक अपनी एकमुश्त राशि ले ली है। बाद में चरण-दर-चरण पेंशनभोगियों के लाभों को इस तरह से और इस हद तक बढ़ाया गया कि यह वृद्ध और वृद्ध भविष्य निधि प्रदाताओं के खिलाफ अधिक से अधिक भेदभावपूर्ण हो गया।

नया। इस भेदभाव के कारण ही रेलवे बोर्ड ने भविष्य निधि प्रदाताओं को पेंशनभोगी बनने के लिए लगातार विकल्प दिए थे। इसलिए यह निवेदन कि यह सीमा समाप्त होनी चाहिए, और सभी भविष्य निधि प्रदाताओं को माना जाना चाहिए पेंशनभोगियों को इस शर्त के साथ कि ब्याज के साथ उनके द्वारा प्राप्त सरकारी योगदान वापस कर दिया जाता है या

समायोजित किया गया। जाहिर है कि यह अधिसूचनाओं में इस शर्त को कोई महत्व नहीं देता है कि एक बार उपयोग किया गया विकल्प अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस तथ्य के लिए कि प्रत्येक विकल्प में एक कट-ऑफ तिथि उस विकल्प को देने के उद्देश्य से संबंधित थी।

***

***

***

29. नकारा में अदालत "इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी कि कानून ने वर्ग को स्पष्टता और सटीकता के साथ परिभाषित किया था और वर्ग का विस्तार करना इस न्यायालय का कार्य नहीं होगा। अदालत ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 65 में कहाः (एससीसी पीपी। 344-45 , पैरा 65)

" सामाजिक-आर्थिक न्याय के क्षितिज के विस्तार के साथ, समाजवादी गणराज्य और कल्याणकारी राज्य जिसका हम प्रयास करते हैं

स्थापित और काफी हद तक इस तथ्य से प्रभावित है कि बूढ़े लोग जो सेवानिवृत्त तब हुए जब परिलब्धि तुलनात्मक रूप से कम थी और

लगातार बढ़ती कीमतों की अनिश्चितताओं के संपर्क में, गिरावट

मुद्रास्फीति निवेश के परिणामस्वरूप रुपये का मूल्य, हम हैं

संतुष्ट है कि एक मनमाना पात्रता मानदंड पेश करकेः

' सेवा में होना और निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त होना '

उदारीकृत पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए और इस प्रकार

एक सजातीय वर्ग को विभाजित करते हुए, वर्गीकरण आधारित नहीं है किसी भी स्पष्ट तर्कसंगत सिद्धांत पर और पाया गया है

अनुदान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से पूरी तरह से असंबंधित उदारीकृत पेंशन और तैयार किए गए पात्रता मानदंड

पूरी तरह से मनमाना, हमारा विचार है कि [2022] 7 एस. सी. आर. के लिए पात्रता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदारीकृत पेंशन योजना 'निर्दिष्ट तिथि पर सेवा में होना और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होना'

ज्ञापन, Exs। पी-1 और पी-2, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है और इसे निरस्त कर दिया जाता है। दोनों ज्ञापनों को लागू और कार्यान्वित किया जाएगा जैसा कि नीचे पढ़ा गया हैः अन्य में

शब्द, Ex। पी-1, शब्दः ' सरकार के बारे में वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और सेवानिवृत्त हो रहे थे

उस तारीख को या उसके बाद सेवा से; और पूर्व में। पी-2, शब्दः ' पेंशन की नई दरें 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी हैं और उन सभी सेवा अधिकारियों पर लागू होंगी जो उस तारीख को या उसके बाद असंवैधानिक हो गए हैं।

और इस विनिर्देशन के साथ मारा जाता है कि तारीख उसमें उल्लिखित एक होने के रूप में प्रासंगिक होगा जिसमें से

उदारीकृत पेंशन योजना सभी के लिए चालू हो जाती है सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना 1972 के नियमों द्वारा शासित पेंशनभोगी। असंवैधानिक भाग को हटाते हुए यह घोषित किया जाता है कि 1972 के नियमों और सेना पेंशन विनियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, निर्दिष्ट तिथि से उदारीकृत पेंशन योजना के तहत संगणित पेंशन के हकदार होंगे। नई गणना के अनुसार निर्दिष्ट तिथि से पहले पेंशन का बकाया स्वीकार्य नहीं है।

30. इस प्रकार अदालत ने पेंशन सेवानिवृत्त लोगों को केवल एक के रूप में माना सजातीय वर्ग। पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों के दिमाग में नहीं था। अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि इसे पढ़ते समय यह किसी भी निधि से संबंधित नहीं था और निर्दिष्ट तिथि के संबंध में अधिसूचना के तहत एक ही केक को बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों के बीच विभाजित करने का कोई सवाल ही नहीं था। सभी

1972 के नियमों द्वारा शासित पेंशनभोगियों को एक

वर्ग क्योंकि पेंशन का भुगतान एक निरंतर दायित्व था

प्रत्येक पेंशनभोगी की मृत्यु तक राज्य का हिस्सा और,

अंशदायी भविष्य निधि के मामले के विपरीत, कोई नहीं था पेंशन के उदारीकरण में एक निधि का प्रश्न।

दो योजनाओं के बीच अंतर को पैराग्राफ में निर्णय के रूप में नीचे वर्णित किया गया थाः

“ 32. नकारा में "यह कभी नहीं माना गया कि पेंशन सेवानिवृत्त और पी. एफ. सेवानिवृत्त दोनों ने एक सजातीय वर्ग का गठन किया और यह कि कोई भी

उनके बीच आगे का वर्गीकरण अनुच्छेद का उल्लंघन होगा।

14. दूसरी ओर अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह "कोष" की समस्या से नहीं निपट रही थी। दिल्ली का रेलवे अंशदायी निकाय v.

एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

भविष्य निधि परिभाषा के अनुसार एक कोष है। इसके अलावा सरकार ने

सी. पी. एफ. योजना के तहत एक कर्मचारी के प्रति समान योगदान देने का दायित्व उसका खाता खुलते ही शुरू हो जाता है और उसकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जाता है जब उसके अधिकार सरकार के पास होते हैं। भविष्य निधि के संबंध में अंत में स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद कोई वैधानिक दायित्व जारी नहीं रहता है। क्या अभी भी एक बचा है

नैतिक दायित्व एक अलग मामला है। दूसरी ओर पेंशन योजना के तहत सरकार का दायित्व कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने तक शुरू नहीं होता है और यह कर्मचारी की मृत्यु तक जारी रहता है। इस प्रकार, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि खाते के तहत सरकार का कानूनी दायित्व

जब यह पेंशन योजना के तहत शुरू होता है तब समाप्त होता है। शासन करने वाले नियम

भविष्य निधि और उसका योगदान पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों से पूरी तरह से अलग है। इसलिए यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि जो पेंशन सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होता है, वह पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। यह कानूनी स्थिति होने के कारण प्रत्येक व्यक्तिगत पी. एफ. सेवानिवृत्त व्यक्ति के अधिकार अंततः उनकी सेवानिवृत्ति पर स्पष्ट हो गए, जिसके बाद कोई निरंतर दायित्व नहीं रहा, जबकि दूसरी ओर, पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में, दायित्व उनकी मृत्यु तक जारी रहा। रुपये में गिरावट से सेवानिवृत पेंशनभोगियों के संबंध में राज्य का निरंतर दायित्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है मूल्य और बढ़ती कीमतें जो पहले से ही कोष पर विचार कर रही हैं

वास्तव में। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह नकारा में निर्धारित अनुपात था कि अपने पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों के प्रति राज्य का दायित्व पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के समान होना चाहिए। सभी सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करने के दायित्व की एक काल्पनिक परिभाषा वर्ग तय नहीं किया गया था और किसी के लिए आधार नहीं बना सका

इस मामले के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण। नकारा 'नहीं कर सकता,

इसलिए, इस मामले के लिए एक प्राधिकरण बनें।

यह देखने के बाद कि पेंशन योजना और भविष्य निधि संरचनात्मक रूप से अलग थे, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सेवानिवृत्त होने वाले लोग एक ही वर्ग से संबंधित नहीं थे और न ही वे एक ही वर्ग के थे।

अनुकरण। इसलिए इस चुनौती को खारिज कर दिया गया।

19. इस स्तर पर हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि राजस्थान राज्य उत्तर वितरण निगम लिमिटेड बनाम द्वारका प्रसाद कूलवाल और

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने पाया कि एक कर्मचारी

स्विचओवर विकल्प का उपयोग करने के लिए विस्तार की मांग करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं था। यह देखा गयाः

" 58. जब पेंशन विनियम और जी. पी. एफ. योजना

एक साथ पढ़ें, आवश्यक निष्कर्ष यह है कि एक कर्मचारी को सी. पी. एफ. योजना का सदस्य बने रहने या पेंशन और जी. पी. एफ. योजना में जाने का अपना विकल्प देना चाहिए। इस विकल्प का उपयोग 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना था

इसलिए, पेंशन और जी. पी. एफ. योजना द्वारा समय में सीमित। हालांकि, आर. एस. ई. बी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों ने विकल्प का प्रयोग करने की अवधि बढ़ा दी। किसी भी कर्मचारी को अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किसी भी समय स्विच-ओवर विकल्प का उपयोग करने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग करने या स्विच-ओवर विकल्प का उपयोग करने के अधिकार का दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं था, और ऐसा कोई अधिकार नहीं था।

हमें अधिकार दिखाया गया है।

20. कृशेना कुमार 3 एक ऐसा मामला था जिसमें दो सेवानिवृत्त थे।

पेंशन कोष और भविष्य निधि जैसी श्रेणियों को अलग और अलग माना गया और इस तरह भेदभाव के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। जैसा कि डिवीजन बेंच के फैसले से पता चलता है, इस मामले पर उसी श्रेणी के व्यक्तियों के बीच भेदभाव के दृष्टिकोण से विचार किया गया था, अर्थात, जिन्होंने सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प चुना था। एक ही श्रेणी में विभिन्न समूह थेः

अ)

जिन्होंने किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जारी रखा

सी. पी. एफ. (आर. के. विरमानी मामलों का समूह) के लिए योगदान का भुगतान करना।

ख)

जिन लोगों ने सी. पी. एफ. के तहत होने के विकल्प का प्रयोग किया लेकिन

विकल्प का प्रयोग कट-ऑफ के बाद किया गया था। चूँकि इस विकल्प का उपयोग कट-ऑफ के बाद किया गया था, इसलिए माना जाता था कि वे जी. पी. एफ. में आए थे और उन्हें लाभ (एन. सी. बख्शी बैच) दिया गया था।

मामलों में)।

जिन्होंने सचेत रूप से अधीन होने के विकल्प का प्रयोग किया

(ग)

सी. पी. एफ.; लेकिन बदलाव के लिए 11 विस्तारों के माध्यम से दिए गए आगे के विकल्पों का लाभ उठाते हुए, 'आने' की अनुमति दी गई थी। जी. पी. एफ. (2469 कर्मचारी) के लिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम। एसएमटी। शशि किरण और ओआरएस। ईटीसी। [उदय उमेश ललित, जे।]

21. एक ही श्रेणी के कर्मचारियों से आने वाली इन तीन उप श्रेणियों के खिलाफ भेदभाव का तर्क था

आई. आई. टी. जैसे शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के संदर्भ में डिवीजन बेंच द्वारा इस मामले पर आगे विचार किया गया। वे सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यदि अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को विस्तार देकर विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, तो डिवीजन बेंच को कोई कारण नहीं मिला कि शशि किरण बैच के कर्मचारियों को इसी तरह का विकल्प/विकल्प क्यों नहीं दिया गया।

मामले।

इसके अतिरिक्त, बाद में अभिलेख में आए दस्तावेजों के माध्यम से जो विशेषता प्रस्तुत की गई है, वह यह है कि बीमा निगमों के कर्मचारियों के संबंध में भी इसी तरह के विकल्प और विस्तार दिए गए थे।

22. उन 2469 कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया गया

शशि किरण बैच के मामलों में कर्मचारियों के खिलाफ, किसी भी तर्क पर आधारित नहीं था। कोई उचित कारण सामने नहीं आ रहा था। यदि उन 2469 कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में बदलने का विकल्प दिया जा सकता था, भले ही उन्होंने जानबूझकर सी. पी. एफ. के तहत रहने का विकल्प चुना था, समानता या समानता के सिद्धांत पर, मामला निश्चित रूप से बनाया गया था।

23. यदि डिवीजन बेंच के निर्णय की पुष्टि की जाती है तो हम अब वित्तीय प्रभाव के दृष्टिकोण से मामले पर विचार कर सकते हैं।

24. 01.05.1987 की अधिसूचना के अनुसार, 01.01.1986 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी हमेशा जी. पी. एफ. के अंतर्गत होंगे। के साथ

उन लोगों के प्रति सम्मान जो 01.01.1986 पर सेवा में थे, कर्मचारियों ने कहा यह माना जाएगा कि जी. पी. एफ. के पास "आया" है जब तक कि सी. पी. एफ. के तहत बने रहने के विकल्प का उपयोग कटौती की तारीख से पहले जानबूझकर नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जब योजना तैयार की गई थी और इसे लागू करने की मांग की गई थी, तो संबंधित अधिकारियों ने पूरे मामले को ध्यान में रखा होगा।

कर्मचारियों की संख्या और निधि के प्रबंधन पर प्रभाव की संभावना, ताकि ऐसे व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन के माध्यम से उचित रिटर्न दिया जा सके। अधिसूचना के इरादे के अनुसार, जिन लोगों को सी. पी. एफ. का विकल्प चुनना था, वे अपवाद थे।

और सामान्य नियम यह था कि 01.01.1986 के बाद हर कोई सामान्य रूप से जी. पी. एफ. द्वारा कवर किया जाएगा। यह इस संदर्भ में है कि मूल [2022] 7 एस. सी. आर. की संख्या

शशि किरण बैच के मामलों में याचिकाकर्ताओं को देखा जाना चाहिए। हम केवल 75 व्यक्तियों के बारे में चिंतित हैं। दूसरी ओर, 2469 कर्मचारियों को रिवर्स स्विचओवर का विकल्प दिया गया और उन्हें जी. पी. एफ. के तहत सभी लाभों की अनुमति दी गई। यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि जब अधिसूचना दिनांक 01.05.1987 जारी की गई थी, तो अधिकारी इस संभावना से अवगत थे कि सभी कर्मचारी जी. पी. एफ. के पास आ सकते हैं। उस संभावना को ध्यान में रखते हुए, कोष का गठन किया गया और मामलों की व्यवस्था की गई। उन 75 कर्मचारियों के स्थानांतरण से किसी भी तरह से निधि की ताकत और चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कोई निर्देश दिया जाए कि

अधिकारियों द्वारा किए गए पूरे योगदान को उचित ब्याज दर के साथ वापस किया जाता है। इन 75 याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2010 में अदालत का रुख किया था। इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि बाढ़ के द्वार खुलेंगे और राज्य के संसाधनों पर पानी की निकासी होगी। इसलिए, एक निर्देश जारी किया जा सकता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आर. एन. विरमानी बैच के मामलों में अपने फैसले के पैराग्राफ 20 में किया था और किस पहलू का उल्लेख ऊपर पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट पत्र में किया गया था, सी. पी. एफ. के तहत योगदान को 8 प्रतिशत सरल ब्याज प्रति वर्ष के साथ वापस लेने के लिए।

25. अभिलेख पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, शशि में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय

किरण बैच के मामलों में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत सरल ब्याज के साथ सी. पी. एफ. के तहत योगदान की भरपाई के लिए निर्देश की सीमा के अलावा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह संभव है कि इतने लंबे समय तक, शशि किरण बैच के मामलों के कुछ कर्मचारियों को जी. पी. एफ. में बदलने में रुचि न हो। लेकिन उन्हें इस तरह से एक विकल्प दिया जाना चाहिए जो अधिकारियों को उचित लगे।

26. इसलिए इन सभी अपीलों का निपटान बिना किसी लागत के किए जाते हैं।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन